[Dr. Bhai Mahavir]

of such a vaccine. The WHO has stopped its grants and the more regrettable part is that it has reportedly stopped the grant because they laid down a certain line as to in what degree the human beings were to be tried upon, it is alleged that Dr. Talwar violated it. He did not care for that report of the Medical Ethics Committee of the WHO also and tried it on a large number of women for the purpose of studying its effects. The Government of India also appears to have been taken for a ride because lakhs of rupees have been spent by us on getting patent rights in 20 countries. We have got patent rights for something which is nowhere in sight! We have spent so much money on protecting results of our research which are yet to appear.

Sir, it is said the tests were made on Indian rats and Swiss mice and they produced inconsistent results. It has also been observed that they might cause cancerous effects. That is why the Medical Ethics Committee gave an adverse report and the WHO stopped its grant but Dr. Talwar has not cared even after that, and he has been going ahead with these trials. Sir, this is something which is hardly flattering for any group of scientists, particularly in our country. Sir, the said article started like this:

> "In 1974, a much-touted anti-pregnancy vaccine was claimed to be round the corner. Since then many lakhs of rupees and thousands of dollars have been spent. And after unsuccessful tests on both animals and human beings, there is still no sign of the drug. Was the country taken for a ride by the doctors concerned? And what happened to the grants of a scale of one crore of rupees that have gone into the project."

Sir, I submit, therefore, to the Government that it is not only a question of looking into this particular complaint or that. The country's science and scientists have to be saved from loss of credibility. There are some scientists, it appears, whose strong point is not their indefatigable search for truth but their ability to manipulate and manage to get awards—national as well as international—even on the basis of false and fraudulent claims. It is not only that the tax-payer's money and the credibility of science are at stake, the health of the citizens of this country which is a much more precious thing, is also at stake.

Therefore, Sir, I would urge the Government to look into this complaint and find out how these awards are manipulated on the basis of false claims and fraudulent data, and to ensure that our science will not be a play thing in the hands of careerist or professional manipulators whose love for publicity or love of awards dominating their thirst for knowledge. Thank you, Sir.

THE PUBLIC WAKFS (EXTENTION OF LIMITATION) (DELHI AMENDMENT) BILL, 1981.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R R. MORARKA): Now we will take up the Public Wakfs (Extension of Limitation) (Delhi Amendment) Bill, 1981.

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI JAGANNATH KAUSHAL): Sir, I beg to move:

> "That the Bill further to amend the Public Wakfs (Extension of Limitation) Act, 1959, as in force in the Union Territory of Delhi, be taken into consideration."

Sir, the partition of the country had created a problem peculiar to wakf properties as there took place large scale unauthorised occupation of such properties. To save the title of true owners from being extinguished if properties were in the adverse possession for 12 years or more, the Public

Wakfs (Extension of Limitation) Act, 1959 was enacted to extend up to 15th August, 1967, the period of limitation in respect of suits for the recovery of any immovable property forming part of a public wakf where the dispossession had taken place at any time between 15th August, 1947, the date of partition, and 7th May, 1954, the date from which the power to declare the property as evacuee property under the Administration of Evacuee Property Act, 1950, ceased. By such extension of period of limitation, the State Wakf Boards were able to institute suits for recovery of such wakf properties.

As the survey of wakf properties envisaged under the Wakf Act, 1954, was still in progress in a number of States the period of limitation was extended twice by the Central Government in 1967 and 1969, giving the last period of extension up to 31st December, 1970. Thereafter, depending upon the circumstances, the Wakf Boards were advised to approach their State Governments for carrying out local amendments to Public Wakfs (Extension of Limitation) Act, 1959. For Delhi the period of limitation was extended once in 1974 up to 31st December, 1975, and again in 1978 up to 31st of December, 1980. The Delhi Wakf Board has approached the Delhi Administration for further extension of period of limitation up to 31st December, 1985, because the survey of wakfs in the Union territory of Delhi is still in progress and the Delhi Wakf Board is not in a position to institute legal proceedings for recovery of possession of wakf properties in a number of cases. Such an extension of period of limitation has already been in existence in Andhra Pradesh, Karnataka, Orissa, Punjab and Tamil Nadu. It is in the process of being extended in Kerala and Madhya Pradesh also In view of the genuine difficulty of Delhi Wakf Board in lodging suits for recovery of wakf properties which are to be located in survey the Bill for extension period of limitation is necessary.

Sir, I move that the Bill be taken into consideration.

The question was proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA): The time allowed for this Bill is two hours. Yes, Shri Shahedullah.

SHRI SYED SHAHEDULLAH (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, the amendment is a simple one extending the time for the operation of limitation. Now, the question arises, why has it been necessary? The hon. Minister has explained the reasons to some extent. The first thing is that it was necessary for the Wakf Boards to initiate steps to recover these properties. Before doing that, they have to identify the properties which are in adverse possession. They have to make out a list of such properties and then they have to pursue these cases. That is why it has taken so much of time. The survey which they had to make has not been completed and hence the need for extension.

Now, Sir, it is a natural thing that those persons or parties which are in adverse possession of these properties, they are very much interested in delaying this thing. From our experience in this country, the way the things are being done, it can be easily concluded that undue influences are being exercised on administration and others who might be of help in identifying these wakf properties and naturally hurdles are being placed before them and the thing is not coming to a successful conclusion. That is what is happening here. That can be taken for granted. It is, therefore, necessary that proper steps should be taken so that there is no such delay.

Now, Sir, there is one more question along with this. As you know, vested interests are operating everywhere. These vested interests have their own channels of operation. Naturally if they are in adverse possession, they want to continue in that adverse possession till such time as they completely rob everything out of the assets of these wakf properties and render them useless when they revert back to the Wakf Boards. At that time these pro-

[Shri Syed Shahedullah]

perties will have no value and will become valueless. It is for the Government to take serious steps to see that serious effort is made to identify the wakf properties in adverse possession and remove the hurdles if any placed in doing this work.

Now, Sir, the Government have been saying from time to time that they are going to bring forward a comprehensive Bill regarding the wakf estates. There were two meetings convened by the hon. Minister and Deputy Minister and Members of Parliament whom they thought might be interested in the matter, were invited. Whatever opinion was given by us, was taken note of. What we learnt was that a comprehensive Bill was under preparation. But we also learnt of certain other things which do not allay our apprehensions and we have our suspicion of certain manoeuvres coming into operation. For instance, it was hoped that the whole thing would be looked at from democratic point of view. But we find that what is actually intended is to bring in excessive Government control and this is what is revealed to us from the papers circulated. It was said that Central Wakf Council should be abolished and only a department will look after it which will have a control over the State Wakf Boards. The argument advanced was that it would bring about uniformity if all the State Wakf Boards are to be under the Central control. But the State Boards vary from State to State and circumstances regarding Wakf estates vary even from district to district within a State and the State legislations have developed on their own and I feel that due recognition should be given to them. There is hardly anything needing uniformity to be imposed from the top in order to bring about excessive control. These are the apprehensions in the minds of the people besides apprehensions about defrauding of the wakf property by the mutwallis. There are all sorts of rumours in Delhi that all the leases of Wakf properties are being given and we find no contradiction also. We get the impression that these things are going on and the people are thus apprehensive on this account. Our experiences suggests that only the mutwalis are not the only criminals. For instance, I recall an instance in Calcutta around sixties. There is an important wakf State of Tipu Sultan family. I hope whoever has gone to Calcutta would have seen the important mosque at Dharamtalla-Lenin Sarani crossing. There are other mosques also. Now, that is a very valuable property. They have one important building and one big plot of over 100 acres leased by the Golf Club. All these leases came to an end to with the condition that there will be no further leases. There was no provision for fresh lease and this was stipulated in the lease deeds of 100 years or 75 years ago. These properties are worth several crores of rupees, at least six or seven crores in Tollygunj,

3 PM

of the Golf Club, and several crores in relation to the building near the GPO Then, Late Mr. Justice Tariq Ali had appointed a firm of reputed solicitors, S. Dhavar and Company, and it was decided that they will manage the thing and they will give his dues only to the mutwalli. The mutwalli had nothing else to with it. It was a Court order and it was binding on all. And everything was moving on smoothly. But in the sixties, unfortunately, when the lease came to an end, a Congress advocate, who was the Mayor of Calcutta came into the picture. And then, things were managed in such a way that a fresh High Court order was obtained and the firm, S. Dhavar and Company, was dislodged. Their place was taken by the Congress advocate. The advocate and the mutwallis managed to give a fresh lease of the property to the Golf Club. Similarly to Shaw Wallace. This is what happened. Now, the Commissioner was conscientious. He was not to be carried away thus. He did not agree. The Commissioner was immediately transferred. He did not have the time to move the High Court. Immediately, the new incumbent was brought in. This was done with the help of the Police. The Police were there to take possession and the office was handed over to the new incumbent with their help. Then fresh leases were given in favour of Shaw Wallace on the one hand and the Golf Club on the other. In this way, there has been fraud in relation to properties and assets worth crores of rupees So. mutwallis are not

the only criminals. There are also others. Even in Delhi, there are so many rumours about leases. Then, increasing Government interference here, for instance, the Jamait-ul-Ulema and the Jamia Millia had their representatives in the Wakf Board. What happened, when the amendments were made later on? The Jamait-ul-Ulema's representative was nominated by the Central Government and the Jamia Millia's representative was also nominated by the Central Government. This is the situation which prevails. The Boards and Committees are loaded with nominees. When the Government have taken up so much responsibility, they cannot put the screen of the Wakf Board and stay behind and say that all this robbing, this defalcation and so on, *is not Government's responsibility*. When they have taken up so much responsibility, by having the power of nominating persons, they cannot escape this. I understand, such things are happening in the States also. These things are happening in the States. The people are wary. So, the mutwallis are not the only criminals. There are also other new people who are coming in, in their places, through these statutory arrangements which are being made. I would suggest that we should look at this whole thing from a democratic point of view. When there is Governmental interference, it will endanger the secular character of our State. This may also affect the majority. Then, there is the question of patronage which will come in, when shops adjoining mosques are given to persons. In such a case, how can we be sure that elections will be conducted smoothly? In such a way, how can we be sure that our democracy will operate smoothly? There is a serious danger in this. It is not only that the secular character of the State is in danger. The democratic rights of the people will also be in danger. Under the Constitution, the people of India have the democratic right to practise their religions in their own way and as per their own understanding. Now. when the Government takes up so much responsibility and a centralised department goes on doing this sort of thing, this will not only endanger the whole fabric of the Constitution, but it will also endanger the social life of our people Therefore, what I say is that the institutions should be more democratised and in the local committees, in the mosques adjoining the mohallas, the Muslim population may be given the chance to take part in the elections of these committees and so on. This sort of thing can be done. The Wakf Boards can be more democratised and not only Members of Parliament and Members of State Legislative Assemblies, but, so far as the State Boards are concerned, the Muslim Members of Municipalities and Zila Parishads may also be associated. This should be left to the States. But the Central Government is moving in the opposite direction. The papers that have been circulated create suspicions in our minds. Wrong type of history is being formulated. In the entire history of the Islam for the first time in 1825—1939 *under Sultan Mahamud II the mosques* came under the control of Khalifas. After the Moghul period was gone and the British occupied India the picture of Islamic glory was gone. Then came the Sultan Mohd. II. Now they are building another history. History was circulated to us that in Umaiyad period all the mosques were being Centrally controlled. Only the Nawab's mosques or the emperors mosques used to be controlled, but other mosques, mohalla mosques and other mosques, remained in charge of Kazis. Kazi was recognised to give order in disputes and everything. So, that remained in the Mohameddan law and the British Government also recognised that, Now, Sir, all this history and writing saying that in the Umaiyad period entire Wakf estate was under the Central Government, create suspicions in our mind that the Central Government wants to control everything, the State Boards, the mosques and everything in the country. I would request the Government to turn their faces just in the opposite direction that is towards democracy, and to look to the Constitution which inspires us to have democracy both in shape and form and leave many things in the hands of the people instead of interfering in every small and tiny bits of things.

SHRI MAQSOOD ALI KHAN (Karnataka): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support the Bill. In his opening remark the hon. Minister has given two reasons for extension of the limitation in respect of the wakf properties in Delhi for bringing

[Shri Maqsood Ali Khan]

suits in respect thereof. One reason is that the Mutwallis or the Wakf Boards have not been able to bring suits against the illegal occupants. The second is that the survey work is still in force. Sir, this is not a new phenomenon so far as the Wakf institutions are concerned, especially of Delhi. In other parts of India Wakf survey was completed about 16 to 17 years back. For example for State of Karnataka, we published the first list in 1965 and I think almost 80 per cent or 90 per cent of the survey work is over. Whatever is remaining is still to be surveyed, but that is a small Wakf. So far as Delhi is concerned, not only a great period they have taken, but even after having been reminded that they have been lacking in their duties, I do not know what the reasons were that they could not complete the survey The first time that was taken up for extension, the second one and now this is the third time. I would request the hon. Minister who is piloting the Bill that the defects in the machinery of the survey should be looked into and he must be able to see that the survey work is finished within one or two years so that suits may be instituted. Sir, at this moment, I would like to take advantage of the presence of the Minister and. I would like to say a few words about wakfs. So far as the present Act is concerned, I would request the attention of the Minister to section 3, to which he has made a reference This is an extract from the Public Wakfs (Extension of Limitation) Act, 1959 It says: "Where a person entitled to institute a suit of the description referred to in article 142 or article 144 of the First Schedule to the Indian Limitations Act of 1908. . ." I would like to find out from the Minister why is it that when there is a change or amendment that is being made into the Act, these articles have not been changed. Today the Limitations Act in India which is in force is not of 1908 but of 1963 and this Act was enforced on 1st January, 1964. There is no article of limitation as article 142 or article 144 These articles have been replaced by articles 64 and 65 of the present Act. If he was to find that the limitations should have been extended and an amendment was necessary, a further exercise should have been done and these limitation articles should have been amended to bring them in line with the present Limitations Act. (*Interruption*) This is a suggestion I am offering to the Minister.

Coming to the facts a paradoxical situation we are in. On the one side, we give assurance to the Muslim public and speak of the intention of the Government that the wakf property will have to be preserved, protected and developed for the upliftment of the Muslim community because the Muslim community finds that there is a lot of potentiality in these properties, on the other side the interplay of the Act is such that whereas you want under this Act to protect them, there are other Acts which clash against the interests of the present Act. For example, the Land Reforms Act, or the Ceiling Act, or certain Inam Abolition Acts. I am speaking of Karnataka. The hon. Minister will be surprised to know that uptil now under the Land Reforms Act of Karnataka, and certain Inam Abolition Acts of Karnataka, properties which were attached to the wakf institutions have been divested from the institutions and the institutions have been deprived of properties worth not one or two crores but round about 20 to 25 crores of rupees in the State and the extent of properties in acreage, I would say if you take one district of Gulbarga, is about 75,000 acres which the institutions have been divested of by one stroke. In Raichur about 25 to 30 thousand acres have been divested of. In my district of Bidar in Karnataka, the institutions have been deprived of about 30.0000 acres of property. And taking the whole of Karnataka, the extent would go into lakhs of acres. When we say that the wakf properties are being protected, is it not our duty to see that the interests under this Act should not clash with the interests of the wakf properties under another Act?

Coming to another crucial point, it was our Prime Minister who in the year 1974 as the Prime Minister of India issued a letter to the Chief Ministers of all the States and the Lieut. Governors of Union Territories. The letter said:

"I am deeply concerned over the fact that wakf properties are under undue

occupation of illegal occupants. The most distressing fact is that some of the properties are under the occupation of Government and the local bodies."

Then she said:

"I would request the Chief Ministers to bestow their attention to this point and to see that these properties are given back to the Wakf Board. And the best way to do it is thrash out on what lines the property can be given."

Then she enlisted these into three categories. One would be where the properties, as they are, can be given back to the Board. If they can, the local bodies or the Government should return them back to the Board. Number two: She said, if they cannot be returned or given back to the Wakf Boards, then they must be valued and the market value must be paid to the Boards. Then the third thing she said was, if these two alternatives are not acceptable, something must be done to enter into an agreement with the Wakf Board to see that these properties are given on a long-term lease to the Government or to the local bodies. These are very clear instructions from the Government but I would like to find out from the hon. Minister whether in any State in India—such a vast country with so many powers—there is a single instance where the Wakf property, under the instructions of the Prime Minister, has been reverted or given back to the Wakf Boards. Sir, I think it is a lamentable fact that not a single property has been returned.

Sir, we in Karnataka have taken up this issue with the Government of Karnataka and we have been fighting it. One hundred and thirty-six properties have been identified out of which nine properties were such that they could have been easily returned but one excuse or the other is shown every time and the result is that these properties are not returned. Now that the Minister is very much anxious, very much ambitious, to see that the Wakf properties are protected, I would request him to see that the intentions of the Prime Minister as they were couched in her letter of 1974 must at once be implemented.

Sir, coming to the main question and the Wakfs Act, I think the House would be a bit benefited if I place before the honourable House, through you, my own experience in Karnataka. I was, for five years, the Chairman of the Karnataka Board of Wakfs. I dealt with people, with the mutawallis, with the Government and with the Act. I know where the loopholes are. The first one—not on my own part but which everybody has been placing before the Government and which the Government is intending to amend—is that this Act has no legal sanction. The Wakf Board or the Wakf body, whatever order it gives, it has no legal sanction because it cannot enforce its own order. Take the case of illegal possessions What we have to do is, the Wakf Board has simply to intimate the police authorities that such and such place which belongs to the Wakf has been illegally grabbed by certain persons. If the police is active, well and good. But we know what kind of police we have, and interests are so diversified that before the Wakf Board can go to the police, the other persons are there who would rather get the best help from the police to protect their own interests against the Wakf Board. The result is that these properties, once grabbed, will always be in the hands or occupation of the grabbers. When we ask the Government, they say, you go to the court. Sir, in how many cases can we go to the court? We have been requesting—and I think this is the request made in every State to the Government—that if you want to see that this Wakfs Act is enforced effectively, there are two or three things that have to be done. The first is, you exempt the Wakf properties from the application of the Rent Control Act which is in existence and is applied everywhere. But very few States have done it. I think it is only Bihar, Punjab, Andhra Pradesh, Haryana and some others which have done it. Sir, you won't believe it when I say that in a city like Bangalore for a shop measuring 10 feet by 20 feet belonging to a mosque, a rent of just fifteen rupees a month is being paid. Supposing it is a Government property and the Government is going to lease it out, it will lease it out for not less than five to six hundred rupees a month. Everywhere this is the condition, this is the state of

[Shri Maqsood Ali Khan]

affairs, so far as the Wakf properties are concerned. When we tell the Government about it, we are asked to institute legal proceedings. But what about the court fee we have to pay? We ask them to exempt us from the court fee. The Minister himself wanted that there should not be any court fee and he recently held a very big meeting with all the Chief Ministers and the Law Ministers of States advocating the cause of the abolition of the court fee. If it is not possible to do that, I would request him to abolish the court fee so far as the Wakf properties are concerned or the charitable institutions are concerned. Make a beginning at least. That is a thing which every Indian would welcome, that if a property belonging to God or Gods is under the illegal occupation of someone, one need not spend thousands and lakhs of rupees for the recovery of it. He will simply file a suit. If he does that, the Minister will get *duayen* from all of us. Sir, I will seek your indulgence; I will have four or five minutes more.

So far as the Wakf Act is concerned, we have to deal with the Wakf institutions, the mutwallis, the beneficiaries, the occupants and the Boards. Most of the institutions, I would say, are either in urban areas or in rural areas. Unfortunately, in rural areas, wherever they had these agricultural lands, they have been divested of them, they have been deprived of them. We do not have any prospects of income from them. It is only the urban property which is remaining with us now. If this Rent Control Act is not made applicable and if the Government thinks it fit to abolish the court fee, most of our properties will come under our possession. The difficult question is about the behaviour of the mutwallis, their erratic behaviour, not in one way but in thousands of ways. These persons have not been able to protect the properties; they have not been able to keep them intact; they have not been able to develop them. The result is that the beneficiaries have to lose

We have, Sir, as earlier said in this House, two or three properties that we developed in Karnataka, that too in Bangalore. On one, by spending Rs. 55 lakhs or so, we are having an income now of Rs. 90,000 per month. On another, we spent about Rs. 20 lakhs and we are getting about Rs. 22,000 per month. On some other property, we spent about Rs. 7 lakhs and we are getting Rs. 15,000 per month. The properties are scattered all over: some are in Mysore, some in Bangalore, some in Tunkur and other places. That is why I was saying, if the Government takes it to its head that here should be a Wakf Corporation; a finance corporation, not a Corporation merely worth a name but a corporation which is a corporate body and able to deliver the goods, a corporation set up not with one or two crores of rupees but with 100 crores of rupees, where the State Governments should be the constituents, each Government contributing about Rs. 10—15 crores, and a phased programme is given for the development of these properties, I think within 10—15 years the faces of these properties which are located in urban areas will completely change to the great benefit of the Muslim community. The Muslim community will be in a position not only to run their own schools, run their administration, but will also have technical colleges, medical colleges and engineering colleges. They need not look to the Government at that time for any help, but look to these institutions with this corporation of about Rs. 100 crores. I think it is not very difficult for the Government to do that. The hon. Minister knows that he is giving Rs. 500 lakhs per year to the Central Wakf Council. Instead of reviving, rotating loans, once you decide that there will be a body with an authorised capital of about Rs. 100 crores. Get it from the constituents, as I said, of the States and big institutions. You can do it in a phased programme of five years and will be able to have the scheme implemented.

MR. VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA): Please conclude now.

SHRI MAQSOOD ALI KHAN: I am concluding it.

The last thing I would like to say is about the Boards I think the view of the Government is that these Boards have not behaved properly in the past years, and

there is a thinking on the part of the Government, and I am sure that it is the thinking of the Minister also, that these Boards should be replaced by Commissioners. Sir, if it so, it is rather very sad. But if it is not so, I will be happy. I want to give one suggestion to the Minister on this behalf. If you want to have a sort of watch over the Wakf Board and to have a sort of vigilance over them, then, you you have the Wakf Board consisting of the same eleven members as you have now, but take the members from different faculties. For example, there should be a Law Member. That Law Member should be a person who is a retired Judge of the Supreme Court or a retired District Judge. There should be a Finance Member. He must be a man who must be a chartered accountant or he must have had some administrative experience in financial matters. And there should be one Revenue Member and one Engineer-Member and one Technical Member. Five or six members of different faculties, if you have, and then some other members belonging to the Legislatures and Parliament, that will come to about nine or ten. And if you have one or two members from the Government side, one member from the Finance Department and one member from the Revenue Department, to be always associated with the Board, they will act as a watchdog and will be able to see whether, when the Wakf Board is deliberating on the wakf matters, it is taking correct decisions or not. A rider you can add thereon in the cases of leases, in the cases of transfers of property. You may say that the view of these members shall be taken into consideration and that if they make any dissent, then, the matter will go to the Government and that the Government will decide about it. So far as the financial matters are concerned, there also you keep a sort of limit up to which the Board Members can give any sanctions or they can refer the matter to the Government. These are the suggestions. I would request the Minister to take them into consideration.

SHRI SYED SHAHABUDDIN (Bihar): Mr. Vice-Chairman, Sir, that the Wakf properties all over the country, and particularly in the northern India, are in a very deplorable state, is an accepted fact, accepted both by the Government, I presume, and by the Mulim community. These Wakf properties, some of whom are of religious significance, are sometimes acquired by Government institutions with due regard to what is considered to be the due process of law. Sometimes they are simply occupied, simply taken over, built over, in the name of urban development as has happened in many parts of the country. I do not have to go into the details. Right here in Delhi with which the hon. Minister is concerned directly, hundreds of Wakf properties, more than 35 years after the Independence, continue to remain under alien occupation, under adverse occupation. I am told that in a certain mohalla in Delhi, Pahar Ganj there are about 30 to 40 mosques still under adverse occupation. But that is not the end of the story.

In Punjab and in Haryana there are thousands of Wakf properties. I just received a letter from Bhatinda that one local municipality has taken over a graveyard and built over it. There is nothing that can be done about it. I came to know that in Kalka an Idgah had been turned into a gurdwara and that a mosque had been turned into a school. Well, I wrote to the Home Minister. The Home Minister admitted the fact. He did not challenge it. But then he said that the Muslims had left Kalka, and so the local people had taken them over. I wrote back to him that the Wakf properties belonged to Allah. Muslims might have evacuated, but Allah had not evacuated India. But the fact is that the Wakf Board of Punjab did go in civil proceeding against the occupants and failed; it failed to prove a patent case, a *prima facie* case a case which does not require any proof. I am citing this instance to bring home to the hon. Minister how impracticable the purpose of the present legislation is. I will come back to this question later. But I am not accusing the Government alone. I know that the properties are being mismanaged by the Mutawallis, sometimes by the beneficiaries themselves The Wakf Boards are not effective. The Wakf Boards are not active. The personnel of the Wakf Boards are corrupt. Sometimes they are centres of political patronage. Nothing moves, nothing happens.

[Shri Syed Shahabuddin]

Now, the Government has been conscious of the fact that the Wakf Act of 1954 is inadequate. My hon. friend, Mr. Maqsood Ali Khan, with his vast experience of Wakf administration, has brought home many inadequacies in the present Wakf Act. There was a committee appointed by the Government called the Wakf Enquiry Committee. It submitted its report in 1976. Six years have elapsed. Still the revision of the Act is in the works. In the meantime, the Jamaat-e-Ulema-e-Hind held an All-India Wakf Conference in 1979 and they submitted a detailed memorandum to the Government. Nothing has happened after that. If I am not wrong, even the manifesto of the ruling party contained references to wakfs-a reiteration of the old promise of doing something about the management of Wakf properties. And there have been a assurances any number of times in both Houses and letters to the MPs, Some of us have replied to them. I have replied to two Ministers. Now I am happy to know that in reply to a question that I put on the 13th July, the hon. Minister has said that now they are reaching the end of the line, and he has promised that by the next session, he will definitely place an amendment Bill before the House. I would welcome the Bill when it comes. I hope it accords with the consensus of the Muslim community.

My hon. friend very correctly pointed out that it is not only a matter of revising the Wakf Act of 1954. It is also a matter of revising the various pieces of State legislation which hurt and hinder and hamper the development of the Wakf properties—for example, the legislation relating to rent control, the legislation relating to court fees and the legislation on land reforms. For example, not only in Karnataka but also in Gujarat, in the name of land reforms, vast properties which were used for the benefit of the Madrsas and Masjids, have been taken over by the Government. In Bihar the same thing has happened. In West Bengal, despite the very sincere plea made by my hon. friend. Mr. Syed Shahdullah the Government of West Bengal threatens to take over a number of Wakf properties under the proposed Thika Tenancy Act. I wrote to Chief Minister Jyoti Basu saying, "Please exempt the Wakf properties, at least the public Wakf properties, not the private Wakf properties, from the purview of the Thika Tenancy Act." I do not know what has happened. Sir, even at the Central level, the Land Acquisition Act, for example, does not exempt even places of religious significance from acquisition in the so- called public interest. I think the time has come when the original Land Acquisition Act, which was the creation of an alien power, of an imperialist occupying power which did not care for our religious sentiments, our religious susceptibilities, should be changed at least to this extent that places of religious significance, to whichever group they may belong, should be respected and should be exempted from the operation of the Land Acquisition Act.

Sir, as I read the objects of this Bill and as I listened, to the hon. Minister, I was conscious of the fact that he has sympathy for the Wakf properties. He wishes to protect them, to preserve them. I will not be unkind to say that the tears that he has shed are crocodile tears. But I am sure that as a lawyer and a judge, he realises how cumbersome, how unrealistic, how impracticable is the process of liberating a civil property from the clutches of alien occupation through civil proceedings. All that you have been doing has not helped the Wakf properties in Delhi a tall You passed the Act in 1959. You have revised it three times. You have revised it three times. You propose to revsie it today. I would like to know how many properties you have been able, after identifying them to be Wakf properties, to get back from alien occupation through a civil suit I hope the Minister has a positive answer and can tell me, "Yes, we have been able to liberate 200 or 300 properties." It is just impossible. We know how the law courts function, we know how the civil suits proceed. I will come to this question as to how this can be remedied if the Government is really sincere. All I am saying at the moment is that the procedure envisaged in this piece of legislation is simply not adequate to the purpose. You have diagnosed

the disease but you have not prescribed the right medicine.

In Delhi there are two types of Wakf properties, broadly speaking. Some of them are under private adverse occupation. I do not know the number, because the honourable Minister has confessed that the survey is not yet complete, thirty years after we became independent. All right, I am prepared to give him another thirty years to complete the survey. We know that there are lots of wakf properties under adverse private occupation. But what I am more concerned about is that there are quite a few wakf properties, very valuable wakf properties, which are under adverse occupation by the Government itself despite the letter, as was referred to by my friend, the honourable Mr. Maqsood Ali Khan of the Prime Minister, the Prime Minister's instructions are explicit. And yet, right under her nose the Delhi Administration, the Land and Development Office of her own Government, the Works and Housing Ministry, the Delhi Municipal Corporation, obeys neither the letter nor the spirit of her command. Yesterday I had occasion to state in this House in respect of the capitation fees that it seems to me that the Prime Minister's writ does not run in country. This is yet another instance in which it appears to me that the Prime Minister's writ does not even run in Delhi. I hope the honourable Minister will do something about it. The Government—Mrs. Indira Gandhi's Government—had appointed a Committee called the Burney Committee in 1974. They went into only those wakf properties which were in dispute between the Government or a Government agency and the Wakf Board. The Wakf Board claimed them to be wakf properties and had gazetted them as such. And yet, the Land and Development Office of the Works and Housing Ministry and the Delhi Development Authority claimed them as their own. They went into 204 properties. They identified them. Fifty-two of these 204 properties were said to be so-called agreement properties. Now, I do not have the time to go into these agreement properties. But, briefly speaking, when parts of this region of Delhi were acquired by the then Imperial Government to build a new Capital, a number of wakf properties were taken over by the British Government and Musliums were offered compensation under that infamous Land Acquisition Act that I referred to, and the Muslims of Delhi—honour be to them—refused to accept the compensation, have not yet accepted the compensation. And yet the Government after independence, continues to claim ownership of those properties. However, in good grace I must say thank you for that, you permitted the Muslim community to use their mosques and to use their *Qabristans* 'under agreement' So they were called agreement properties. Fifty-two such agreement properties were identified. In addition, 152 other properties were also identified. Out of these 204 properties they broadly divided them into two categories: one set to be restored to the Wakf Board and the Government to withdraw all its claims from there; the other set to be left in the hands of the Government. All right, you have them, you keep them. The Muslim community was not satisfied with the report that was submitted in 1976. And yet I would say, as they say in my part of the country—

"भागे भूत की लंगोटी सही"

What you can give back, give back to them. They are prepared to accept. So out of these 204, they divided them into two categories, and since then negotiations are going on. Now, six years have again elapsed and yet no progress has taken place. And what I am unhappy about is that on the 13th July the Home Minister gave a reply and the reply contains a very serious implication. So far the Government had only said: "We have appointed another committee to look into the recommendations of the Burney Committee, and yet another committee: we are considering the matter; the matter is under serious consideration or under the active consideration of the Government". This time they said: "We are thinking of dealing with this matter in phases." I must quote exactly what was said. "The Government proposes to consider implementation of the recommendations of the Burney Committee report with respect to properties claimed by the Delhi Wakfs Board in phases", that is, in bits and pieces through the process of bargaining," and to take up for consideration in the first phase

[Shri Syed Shahabuddin]

those properties about which there is no dispute........

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA): What is the document you are reading from?

SHRI SYED SHAHABUDDIN: This is from the reply of the hon. Minister to my question No. 326 of 13-7-1982. In the first phase they shall deal with those properties about which there is no dispute. So far so good. Then they say: "but which are not required for the planned development of Delhi". That is to say, the Government, for the first time, bares out its intention that even those properties which were identified as wakfs properties and which the Burney Committee had recommended that they should be handed over to the Wakf Board, shall not be given back to them, if they are required by the Government for what has been said as, planned development. As I said right in the beginning, in the name of urban development all over the country, waks properties are being taken over. Now, there will be another story of that type right in the Capital City.

What is the solution? My solution is that, if the Government is really serious or sincere about restoring wakfs properties for the use to which they were meant to the beneficiaries, to the wakfs authorities or to the mutwallis, let them bring the public wakfs under the purview of the Public Premises (Eviction of Illegal Occupation) Act. Here I am very clear in my mind about the distinction between public wakf properties and private wakf properties I would not demand the same facilities, concessions or privileges with regard to private wakfs. At least in regard to public wakfs properties please bring them under the Public Premises (Eviction of Illegal Occupation) Act.

May I draw your attention to sections 1(e), 5 and 15 of this Act? Sub-section (e) defines public premises. It was recently amended in this House. It goes to say premises belonging to or taken on lease by or on behalf of any company in which 51 per cent share is held by the Government, any corporation or local authority controlled by the Central Government, any university, any institute incorporated under the Institute of Technology Act, any board of trustees constituted under the Major Ports Act, land belonging to the Bakra Management Board, any premises belonging to the Municipal Corporation of Delhi or to any municipal committee or notified areas committee, any premises belonging to the Delhi Development Authority—my adversaries—The Delhi Development Authority and the Delhi Municipal Corporation get protection of the law and the Delhi Wakfs Board is refused that. This logic is beyond my comprehension. If the public wakfs properties are brought under the purview of this Act, the task of evicting illegal occupation is very simple. You have the eviction process laid down in section 5 which I do not have to read. Under Section 15 the court jurisdiction is barred. Therefore, within 15 days you can evict the occupant and occupy the property. Therefore, if you really wish to help the wakfs boards or the beneficiaries of the wakf properties, the Muslim community, please think very seriously about applying this Public Premises (Eviction of Illegal Occupation) Act to them.

I would not take too much of your time. My specific submission to the Government is brief. Please revise the Wakf Act as soon as possible. You have taken enough time considering various enquiry committee reports, their suggestions and recommendations. Also, please implement the Burney Committee Report. The situation is becoming like a cancer and it is becoming a running sore and it is a point of grievance against your Government, against your administration, that what you promised you have refused to fulfil, that what your own officers have suggested and recommended, under one plea or the other, you have run away from that. And, Sir, privately what are we told? Privately, Sir, we are told: "Look. This property is in the heart of the city and it is so valuable. Shall I give it back to you?" This is what we are told (*Time bell rings.*) It shall not be given back as it is a valuable property, no matter whether it was originally a wakf property or not, no matter what

its legal status is. Now, that, to my mind, is not an attitude befitting a Government or a semi-Government agency. Therefore, Sir, my second suggestion is this: Please implement the Burney Committee Report expeditiously. Thirdly, I would like to plead: Please bring the public Wakfs within the purview of the Public Act. That way alone you can help us and this will not help. This piece of Legislation will not help. It is good as far as it goes. But you will go on extending it every five years and I shall also go along with you as I shall vote in favour of this piece of legislation. But this is only an eye-wash and this does not help you, this does not help us, this does not help the Muslim community and this does not help the Wakfs. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA): Now, Mr. Hukmdeo Narayan Yadav.

[उपसभाध्यक्ष] डा० श्रीमति नाजमा हेपतुल्ला पीठासीन हुईं।]

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदया, अभी इस पर काफी बहस चल रही है और कई सदस्यों ने अपने मूल्यवान सुझाव रखे हैं। लेकिन बात मेरी समझ में यह नहीं आ रही है कि 1947 से यह मामला पड़ा हुआ है और सरकार को पता ही नहीं लग रहा है। दिल्ली में सरकार है और दिल्ली में सरकार चलती है और सारे देश पर शासन करती है, लेकिन दिल्ली में ही कितने नाजायज वक्फ पर कब्जा करने वाले लोग हैं इसका पता 1947 से अब तक प्रशासन चलाने वाले लोगों को लगा ही नहीं है। वक्फ बोर्ड भी है। आखिर सरकार का काम क्या है। सरकार का काम वक्फ बोर्ड को देखना भी है। तो 31 दिसम्बर, 1980 तक का समय जो था उसे अब 31 दिसम्बर, 1985 तक आप बढ़ा रहे हैं। क्या गारन्टी है कि 1985 तक का समय भी 1990 तक नहीं बढ़ाया जायेगा इसलिये कि उस बीच में आपका काम पूरा नहीं हुआ। तो फिर बढ़ाइये और फिर बढ़ाइये और जैसे द्रौपदी की साड़ी अनन्त हो गयी थी उसी प्रकार से यह समय बढाने की प्रक्रिया भी अनन्त समय तक चलती रहेगी। यह द्रौपदी की साड़ी जैसा हो रहा है।

SHRI SYED SHAHABUDDIN: I think he is inspired by the Chair, Madam!

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि आखिर यह मामला क्यों है। असली सवाल यह है कि मेरी राय में चाहे वह वक्फ का मामला हो या हिन्दू धर्म के मंदिरों का मामला हो धर्म के नाम पर संपत्ति को निजी काम में इस्तेमाल करना सब से बड़ा अपराध माना जाना चाहिए और यह इसलिये कि संपत्ति तो धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर, खुदा के नाम पर, हम दे रहे है तो आप दान के नाम संपत्ति देकर ईश्वर के नाम पर, खुदा के नाम पर संपत्ति दान करके उस दान की हुई संपत्ति को निजी इस्तेमाल में लाते है, उसका इस्तेमाल निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिये कर रहे है। इससे बड़ा धर्म का और मजहब का अपमान और हो ही नहीं सकता। जो लोग ऐसा करने वाले हैं उनके खिलाफ सख्त कानून बनना चाहिए, कड़ा कानून बनना चाहिए और सरकार को इस पर नियंत्रण करना चाहिए। वह वक्फ बोर्ड का मामला है। दिल्ली में चल रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे यहां बिहार में तो आप लाट साहब भी रह चुके हैं। आपने वहां देखा होगा ज्यादा देखा होगा कि जमीन का जो सवाल है, जो भूमि की हदबन्दी की गयी है, भूमि सुधार का जो कानून है, उसमें देख कर मुझे दुःख होता है कि जिन्दा

[श्री हुक्मदेव नारायण यादव]

आदमी के लिये तो सीलिंग का कानून बनाया गया की उस कि निर्जी भूमि 18 एकड़ से ज्यादा नहीं हो सकती, पांच आदमियों का परिवार 18 एकड़ से अधिक भूमि नही रख सकता, लेकिन मंदिर में देवता के लिये पत्थर की मूर्ति के लिये जो खाती नही है, पीती नहीं है, उसके लिये कोई सीलिंग नहीं होती। जिन्दा आदमी के लिये हदबन्दी है, लेकिन पत्थर की मूर्ति के लिये, मुर्दे के लिये कोई हदबन्दी नहीं। चाहे जितनी भूमि उस के लिये रख ली जाये। उस पर कोई रोक नही है। कोई रोकने का काम नही है। मंदिर के नाम पर जितनी चाहे जमीन रखने दी जाये। तो यह कहां का इंसाफ है। इस पर भी कड़ाई से कानून बनना चाहिए और उस पर भी सरकार को सोचना चाहिए। अगर सीधे कह देते है कि हम प्रगतिशील है, समाजवादी हैं डरने की क्या बात है ?

"खुदा से डर नहीं है तो बन्दे से है डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या।" प्रगतिशील बनते है तो फिर डरते क्यों हैं। घबराते क्यो हैं। आइये, हिम्मत के साथ आइये और कहिये कि हम भी मर्द हैं, प्रगतिशीलता के आधार पर उदार हृदय से सोचना है और उसके अनुसार काम करना है। मैं इसीलिये आपसे निवेदन कर रहा हूं कि दुनिया के अन्दर, उपसभाध्यक्ष महोदया, सम्पत्ति के लिये आदमियों में झगड़ा मैंने देखा, बाप-बेटे में सिविल सूट हो सकता है, लड़की मां पर सिविल सूट दायर कर सकती है, पोता दादा पर मुकदमा दायर कर सकता है, रिस्तेदारों में सिविल सूट दायर हो सकता है लेकिन बिहार में सैकड़ों, हजारों मामले अदालतों में दर्ज हैं मदिरों के। एक मूर्ति दूसरे पर सिविल सूट दायर है करती है। रामचन्द्र की मूर्ति और हनुमान जी की मूर्तियों में मुकदमा होता है कि हमारा मेल नहीं हो सकता है, इसलिये हमारा बटवारा कर दो। राम और हनुमान में इतना बड़ा प्रेम था, यह हमने रामायण में पढ़ा और रामायण में लिखा हुआ है कि हनुमान जी के हृदय मे राम-राम ही था लेकिन बिहार मे हनुमान और राम की मूर्तियों में झगड़ा है, वह कहते है हमारी पटड़ी नहीं बैठ रही है, कृपा करके हमारा बटवारा करा दीजिये। दुर्गा जी सूट फाइल कर रही हैं गणेश जी से बटवारा करा दो। वहां गणेश जी कह रहे है शंकर जी से हमारा बटवारा करा दो शंकर जो कहते हैं किसी दूसरे देवता से बटवारा करा दो। आप बिहार में जाइये, हजारों की संख्या में केसेज पड़े हुए हैं अदालतों में। एक भगवान दूसरे भगवान पर केस दायर करा रहा है, न जाने कहां से इतने भगवान आ गये। हमने तो सुना था--

'एकम् सद्विप्र: बहुधा वदन्ती' वेद में तो ईश्वर एक है।

इस्लाम में कहा गया है खुदा एक है--"लाइलाह इल्लल्लाह" भगवान एक है, लेकिन हमारे बिहार में इतने भगवान बना दिये गये है इन पाखंडियों के द्वारा कि एक भगवान दूसरे भगवान पर सिविल सूट दायर करता है। भगवान और भगवान में झगड़ा है। जज साहब भी ऐसे है कि भगवान, भगवान के बीच में बटवारा करते चले जा रहे है। कितनी जमीन राम जी की रहेगी, कितनी सीता की रहेगी, हाय राम, हाय सीता, ये मुकदमें चल रहे है। यह मैं इसलिये कहा रहा हूं कि अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने बाल-बच्चो के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए धार्मिक सम्पत्ति का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे बड़ा अपराध दूसरा हो नहीं सकता। इस अपराध को कड़ाई से

सरकार को रोकना चाहिए । इस पर कड़ाई से नियंत्रण होना चाहिए । साइन बोर्ड लगा देंगे धर्म का, मजहब का, और सम्पत्ति रखेंगे अपने हाथ में। यह सबसे बड़ा अपराध है। इसको रोकने का काम करना चाहिए । इसलिए मैं यही कहूंगा कि यह इसलिये होता है कि इस देश के अन्दर मजहबशाही, राजनीतिशाही और नौकरशाही, इन तीनों का मेल हो गया है। मजहब के नाम पर लोग बैठे रहते है और जब वोट का समय आयेगा, तो वह फरमान जारी करने लगते हैं शंकराचार्य जी फरमान जारी करते हैं, मौलाना साहब फरमान जारी करते है और पादरी साहब का फरमान होता है कि हमको फलाने को वोट देना है। तो इन संस्थाओं का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, वह राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है । इसलिये राजनीति चलाने वालो का तालमेल वहां है और उससे यह गठबंधन चल रहा है। चूंकि नौकरशाही में जो लोग है, उनको खाने पीने के लिये कोई जगह तो चाहिये। यह जब तक यह मामला लटका रहेगा, 80 के बदले 85 और 85 के बदले 90, 90 के बदले 95, जितने भी दिन तक समय बढ़ता चला जायेगा उतने ही दिन तक जांच करने वाले लोगों की चांदी कुटती रहेगी । मजहबशाही, राजनीतिशाही और नौकरशाही, इन तीन तिगड़मों का मेल है। तीन तिकड़मो मिलकर इस सम्पत्ति को लूटते है। वह चाहते हैं कि धर्म के नाम पर न जाए, मजहब के लिये, जन-कल्याण के लिये इसको न लगाया जाए, बल्कि उनका निजी काम चलता रहे। तुम भी खाओं, हम भी खायें। दुनिया से क्या लेना-देना । जब हिसाब का समय आयेगा और कोई मांगेगा कि हिसाब क्या है, तो हिसाब हम साफ दे देंगे कि एक-चौथाई मड़न—पुड़न एक-चौथाई पम, एक-चौथाई मूत लपटन और एक-चौथाई हम, हो गया सोलह आना पूरा। अब कुछ धार्मिक संस्थाओं मे बचा ही नही, क्या हिसाब देंगे । कुछ भगवान की प्रसादी में चला गया, कुछ सेवक खा गये, अपने रिश्तेदार खा गये, कुछ नेता की आरती उतारने में लग गया और कुछ अफसर लोग खा गये । इस कारण भगवान की संस्था में कुछ बचा ही नही । खाली शून्य पड़ा हुआ है। जो संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है मैं मानता हूं यह सवाल मानवता के दृष्टिकोण का है। जब देश आजाद हुआ हमारा दृष्टिकोण क्या था, हम किस आधार पर देश को ले चलना चाहते है । किस आधार पर हम इन चीजों का इस्तेमाल होने देना चाहते हैं। यह काम सरकार के देखने का है। इसका तरीका यही है कि इसको निपटाने के लिये मजबूती से कदम बढ़ाना। इसलिए घबराने से काम नहीं चलेगा । कोई काम आप करते है हल्ला होता है। हल्ला हो, विवाद उठे तो सरकार को इससे घबराना नही चाहिये। ऊंट की पीठी पर जब डंका बजता रहता है तो उसको पीटने से ऊंट क्यों भड़के। सरकार के काम पर इतना विवाद होता है, बहस होती है, चर्चा होती है, आलोचना होती है, समालोचना होती है। जब सरकार अन्य कामो मे नहीं घबराती है तो सरकार को इससे भी नहीं घबराना चाहिये, बल्कि सरकार को मजबूती से कदम उठाना चाहिये और हाथ बढ़ाना चाहिये । मै यह कहूंगा कि क्योंकि वक्फ बोर्ड का मामला है इसलिये नही बोल सकता इसको, मै ठीक नही समझता। वक्फ बोर्ड के बारे में आप कुछ कहें या न कहें लेकिन परमात्मा ने मुझे हिन्दू के घर पैदा किया, हिन्दू के घर जन्म दिया, इसलिये मुझे कुछ कहने का जन्मसिद्ध अधिकार है । जितनी भी भगवान की जमीन है सबका राष्ट्रीयकरण करो । सारे मन्दिरों की जमीन को जब्त कर लो अपने कब्जे में ले लो और उनको दे दो जो जमीन को जोते-बोवे वह जमीन का मालिक होवे । जिंदा इंसान रोटी के लिये तरस रहा है, काम के लिए मर रहा है लेकिन पत्थर की मूर्ति तीन-तीन हजार बीघा जमीन की मालिक बनी

[श्री हुक्म देव नारायण यादव]

बैठी हुई है. उसको खा रहा है कौन पद्मानन्द श्रद्धानन्द देवानन्द, हरिनारायण नन्द और उदयानन्द । कौन-कौन नही खा रहा है। इतने ग्रानन्द बन गये हैं कि वे सब परमानन्द की प्राप्ति में लगे हुए हैं । ईश्वर की सम्पत्ति लूट कर ईश्वर के नाम पर । मेरा कहना है कि उनको सम्पत्ति को जब्त करो, उन पर कब्जा करो। सरकार उसको अपने हाथ में ले और भूमिहीन को वापस दे । कई सालों से 18-19 हजार एकड जमीन कुत्ता के नाम पर, गधा के नाम पर, हनुमान के नाम पर, भगवती जी के नाम पर, काली माई के नाम पर. दुर्गामाई के नाम पर, उल्लू भगवान के नाम पर बन्दर भगवान के नाम पर अनन्त भगवान के नाम पर, बौद्ध-गया के महन्त ने कब्जा किये हुए है । उस जमीन के लिए हरिजन और आदिवासी और छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के लोग पिछले तीन साल से संघर्ष कर रहे हैं कि यह जमीन जोतने वालों को मिलनी चाहिये। तो उनके ऊपर लाठी चलाई जाती है, गोली चलाई जाती है, औरतों के साथ बलात्कार किया जाता है। उनकी इज्जत लूटी जाती है, उनको अप-मानित किया जाता है, डंडों से मारा जाता है । हजारों औरतों नवयुवतियों, नौजवानों को पकड़ कर जेल में बंद कर दिया जाता है। उनसे कहा जाता है कि तुम इस महन्त की जमीन पर नही जा सकते । मेरा कहना है उसका राष्ट्रीय-करण करो, उसका नेशनलाइजेशन करो। क्यों नहीं सरकार उस जमीन को अपने कब्जे में लेती है और उन गरीबों के बीच में क्यों नही बांटती है ? धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, देश में अगर कोई इस तरह का अन्याय, अत्याचार कर रहा है, तो सरकार को चाहिये कि वह इसे बर्दाश्त न करे । सरकार का काम है इसको देखना । जब तक इन मठ के अड्डों को धर्म और सम्प्रदाय के नाम पर, मजहब के नाम पर चलने वाले इस अड्डे को तोड़ने का काम नहीं किया जाएगा, तब तक इस देश में विषमता मिटने वाली नहीं है ।

4 P.M. इसलिए आज आपका और हमारा काम है कि अगर भारत को सुन्दर भारत बनाना है, आजाद भारत को मजबूत भारत बनाना है, तो मजबूती के साथ इन चीजों से निपटना होगा । मेरा यह निवेदन है कि यह जो गठबंधन बना हुआ है, मजहबशाही; राजनीतिशाही और अफसरशाही की, यह जो तिकड़म बनी हुई है, इसको हमारे श्री जगन्नाथ कौशल जी तोड़ने में सफल होंगे । उनका नाम भी जगन्नाथ है और उसमें भी कौशल जुड़ा हुआ है। जो 16 कलाओं से पूर्ण है । इसलिए जब श्री जगन्नाथ कौशल हमारे विधि मंत्री बने हैं, तो इन बेईमानों को तोड़ने में सफल होंगे और इसमें अपना कौशल दिखाएंगे। इन लोगों को जो छूट मिली हुई है, उसको समाप्त करेंगे। हमारे देश में जो लोग धर्म के नाम पर बेईमानी करते हैं, शैतानी करते हैं, उनको समाप्त करने की जरूरत है । मैं दरभंगा की कांस्टिट्यूएन्सी से बिहार ऐसेम्बली में लगातार सन् 1967 से 1977 तक आता रहा हूं और मेरी कांस्टिट्यूएन्सी मे 40-50 हजार से भी ज्यादा मुस्लिम वोटर्स है । इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि धर्म की आड़ में जो लोग जनता का शोषण करते महजब और धर्म के नाम पर हिन्दुस्तान के लोगों को मानसिक गुलाम बना कर अपने अधीन रखना चाहते हैं, उनका पकड़ा जाना चाहिए और तोड़ा जाना चाहिए । इन तमाम लोगों की जमीन जो उन्होंने धर्म के नाम पर अपने पास रखी हुई है, उसको सरकार अपने हाथ ले और जो लोग इस जमीन को खुद जोतते है, उनको

दे । धर्म और मजहब की आड़ में लोगों का शोषण करने वाले लोगों को पकड़ कर निकाल बाहर किया जाय और गरीब लोगों को वह जमीन दी जाय ।

श्री हाशिम रजा आब्दी इलाहाबादी (उत्तर प्रदेश) : मोहतरमा वाइस-चेयरमैन साहिबा, मै आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे वक्फ, मुस्लिम वक्फ बिल पर बोलने का मौका दिया । जहां तक इस बिल का ताल्लुक है, इस बिल से मुस्लिम कल्चर, मुस्लिम तहजीब, मुस्लिम तारीख के साथ-साथ मुसलमानों के मजहबी उमूर बाबस्ता है । मैं यह नहीं कहता कि औकाफ किसी महदूद दायरे में, किसी मखसूस दायरे में महदूद है, बल्कि हकीकत यह है कि मुस्लिम औकाफ से मजहबी मसायल, मजहबी उमूर भी अंजाम दिये जाते हैं । तालीमी उमूर भी अंजाम दिये जाते हैं, तहजीमी उमूर भी अंजाम दिये जाते हैं और इन सब का जो नीचोड़ है, इन सब का जो एखतसार है उसको मुस्लिम औकाफ कहते हैं । पर जैसे अभी दूसरे मुकरिर ने शिकायत की कि मुस्लिम औकाफ की तरफ हुकूमत खास तवज्जह नहीं दे रही है, मै यह कहता हूं कि हुकूमत और हुकूमत के कारपर्दाज, दो चीजें होती हैं । हुकूमत तो किसी हद तक, बड़ी हद तक, मुस्लिम औकाफ में दिलचस्पी लेती है, लेकिन उसके जो कारपर्दाज हैं वे उसमें दिलचस्पी नहीं लेते है । नतीजा यह होता है कि हुकूमत अहकामात तो बाज औकात सिद्दत से जारी होते हैं लेकिन वह नीचे आने के बा, उन आफिसरों तक पहुंचने के बाद खत्म हो जाता है और वे जायदादें जो कि रियासत से छुड़ाने के लिये होती है अहकामात जो कि मुस्लिम औकाफ की जायदादें छुड़ाने के लिये जारी होते है वे कभी पूरे नहीं होते। मुझे यह बतलाया गया है और यह मालूम है कि दिल्ली की औकाफ की हद तक, जहां के लिये ... कानून मे इजाफा किया जा रहा है ... मद में इजाफा किया जा रहा है, आज ... जहां सैकड़ों जायदादें, सैकड़ों मकान ... औकाफ की दूसरे गैर लोगों के कब्जे में है । गैर लोगों से मेरा मतलब यह ... कि औकाफ के कब्जे मे नहीं है । ... मतलब यह है कि हुकूमत और सरकार ... यह चाहती है कि औकाफ का ... इस्तेमाल हो, औकाफ में मुतवल्ली काबिज हो जायं, औकाफ हकीकी तौर मे आ... हो जाय लेकिन ये अहकामात जो ऊपर ... आते हैं वे नीचे पहुंचते पहुंचते बेअसर हो जाते हैं । नतीजा यह होता है ... जिस तरह से 1947-48 में औ... की हालत थी, जिस तरीके मे ... ऊपर गैर मुतवल्लियों का कब्जा था ... आज भी जारी है और औकाफ का ... मकसद या सही इस्तेमाल नहीं हो ... है । मैं आपके तवस्सुत से यह अर्ज करना चाहता हूं और इस तवस्सुत मे यह ... चाहता हूं कि जैसा कि दूसरे मुकर्रिर ... कहा है कि औकाफ की जायदाद पर ... कन्ट्रोल ऐक्ट जो है वह बहुत गलत ... से असर अन्दाज होता है । अक्सर ... जैसा कि मकबूल खां ने ... जो कि लाखों रुपये की जायदादें ... जिनका सैकड़ों रुपये किराया आ ... उनका सिर्फ 15-20 रुपया ... किराया आता है । नतीजा यह ... कि इन जायदादें की जो मिल्कियत ... जो मालियत है वह वक्फ के लिये ... बेकार हो जाती है । यह ... हर सूबे मे, हर रियासत में ... मुद्दत से किया जा रहा है ... फिर उस मतालबे को दोहराता हूं कि मुस्लिम वक्फ को ... ऐक्ट से मुस्तसना किया ... बात यह कहना चाहता हूं ... महजबी जायदादें, जिनने ...

[श्री हामिद रजा ग्रावदी इलाहाबादी]
चाहे मुसलमानों के हों, चाहे गैर-मुसलमानों के हों, चाहे सिखों के हों ग्रौर चाहे ईसाइयो के हों, उनको रेंट कन्ट्रोल ऐक्ट से मुशतसना कर दिया जाय । जिस तरीके से कुछ सूबों में मुशतसना कर दिया गया है । यू०पी० में भी तैयारी हुई कि रेंट कन्ट्रोल ऐक्ट को वक्फो जायदाद से मुशतसना किया जाय लेकिन बहरहाल जब वह तैयारी हो रही थी ग्रौर वह तकरीबन पाये तकमील तक पहुंच गया था तो हुकूमत बदल गई ग्रौर ग्रब तक यह काम नहीं हो सका । मैं यह कहता हूं कि मरकजी हुकूमत मरकज से कुछ ऐसे कानून नाफिज करे, इस तरह से कोई सूरत पैदा करे ताकि रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट से मुसलमानों की ग्रौकाफ की जो जायदादें हैं वे मुशतसना हो जाय ग्रौर मजहबी उमूरो को बखूबी ये ग्रंजाम देते रहें । इस तरह से में यह समझता हूं कि ग्रगरचे मुस्लिम ग्रक्कलियत के साथ, ग्रगरचे मुस्लिम ग्रौकाफ का इलहाक हो जाय ग्रौर सही मायनों में मुस्लिम ग्रौकाफ ग्रपने उमूर का ग्रंजाम देने लगे तो एक बड़ी हद तक मुस्लिम ग्रक्कलियतों को, एक बड़े हद तक मुसलमानों को जो उनमें ग्रपनी कुछ कमी महसूस होती है वह इससे पूरी हो सकती है । इन ग्रल्फाज के साथ मैं ग्रपनी तकरीर खत्म करता हूं ग्रौर इस बिल की हिमायत करता हूं ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदया मेरे कई साथी पहले बोल चुके हैं । काफी चीजें उन्होंने कह दी हैं फिर भी थोड़ी सी बातें मैं ग्रर्ज करना चाहूंगा । ग्रभी श्री हुक्मदेव नारायण यादव जी बोलते रहे, उन्होंने काफी ग्रच्छी तकरीर की है लेकिन उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि चाहे मुसलमानों की वक्फ की जमीन हो, चाहे गुरुद्वारों की हो, चाहे मन्दिरों की हो, चाहे गिरजाघरों की हों उनको नेशनलाइज किया जाए । मैं यह ग्रर्ज करना चाहता हूं कि उनको नेशनलाइज करने का मतलब है कि एक प्रकार से लामजहबी के ऊपर ग्रापका इमान ग्रा गया । ग्रापने कहा कि वक्फ बोर्ड को एबोलिश कर दिया जाए, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को खत्म कर दिया जाए, जितने मन्दिरों को चलाने वाले एक्ट है उनको समाप्त कर दिया जाए यह हो सकता है कि उनके दिल में समाजवाद का ज्यादा ऊंचा नारा उनकी हो या साम्यवाद का नजरिया हो लेकिन मैं उनसे सहमत नहीं हूं । लेकिन यह बात सच है, यह मैं मानता हूं कि मुसलमानों की जितनी तकलीफें है उनका सीधा जोड़ कोई वक्फ के साथ नहीं है । मुसलमानों का एक वह तबका जो छोटा है, गरीब है, ग्रनपढ़ है उनका इससे साथ सीधा ताल्लुक है क्योंकि ग्रौकाफ का मतलब यह है । जो वक्फ की मकानात है, जायदाद है, वह मुतवल्ली बैठ कर खा ले, उसका मकसद नहीं है, उसका मकसद मुतवल्ली से उसी जायदाद की जो ग्रामदनी हो जरिया हो । वह जो गरीब उस मजहब के लोग है उससे उनकी सहायता की जाए इसलिये यह कोई ग्रगर कहे कि मुसलमानों की इतनी जरूरतें हैं, ग्रावश्यकताएं हैं, शिकायत है वे सब वक्फ के साथ जुड़ी हुई है, यह बात मौजू नहीं है । यदि गरीब तबके साथ जुड़ी हुई है तो यह बात सही है । मै ग्रापका स्वागत करता हूं कि ग्रापने 1980 के बाद 1985 तक यह चीज बढ़ाई है । ठीक बात है । लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह ग्रापको बार बार बढ़ाने की जिद क्यों पड़ रही है ? ग्रापने खुद कहा है कि उसका सर्वे पूरा नही हुग्रा । जमाना बदल गया है, सन् 1947 के बाद ग्राज तक सर्वे पूरा क्यों नही हुग्रा है क्या ग्रापने इसकी कोई जांच की है । मैं ग्रापसे निवेदन करुंगा कि यदि ग्रापने

जांच नही की तो की जाए। यह जांच अब तक क्यों नहीं हुई, क्या कारण है? इसका मतलब है कि कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो मिले हुए हैं या कुछ ऐसी कानून की पेचीदगियां है। अगर कानून की पेजीदगी है तो उनको भी दूर कर सकते हैं। मेरा यह भी कहना है कि यदि अधिकारी मिले हुए है तो उनको भी बदल दिया जाए। यह काम पूरा होना चाहिये। मेरे साथी श्री शहाबुद्दीन जी ने वर्नी कमेटी का जिक्र किया था। वर्नी कमेटी की रिपोर्ट की जानकारी मुझे भी है। वर्नी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कई साल पहले दी थी इस में दो बातों का जिक्र किया है। दो हिस्सों के बजाय इस कमेटी ने इन जायदादों को तीन हिस्सों में बांटा है। पहला हिस्सा यह था कि जो सरकारी कब्जे में है, डी० डी० ए० के कब्जे में है, कारपोरेशन के कब्जे में है और जिसको वर्नी कमेटी यह समझती है कि वह वास्तव में वक्फ है, उनको वापिस कर देना चाहिये। तो मेरा कहना यह है कि जब वर्नी कमेटी ने कह दिया है तो आपको क्या तकलीफ है इसमें? डी० डी० ए० कारपोरेशन भी वापिस नहीं करें और उनको दबा कर रखे हुए हैं तो मामूली आदमी जो मुतवल्ली है, मुसलमान है वह हलुवा बना कर खा रहा है तो आप कसे रोकेंगे या कोई हिन्दू जबरदस्ती बैठ गया तो कैसे हटायेंगे मेरा कहना यह है कि ऐसे भी कब्जे हैं जो कि डी० डी० ए० अथवा कारपोरेशन के हैं या किसी ऐसी सिचुएशन के हैं सरकार के है तो वर्नी कमेटी ने यह सिफारिश की थी जो वक्फ के है उनको आप वापिस कर दे। मगर उसमें एक पेचीदगी है जिसकी तरफ श्री शहाबुद्दीन जी ने इशारा किया। वे कहते है कि कुछ जमीने है, मलकीयतें है ऐसी है जो बड़ी कीमती है। बात तो सच है कि जामा मस्जिद चांदनी चौक के इलाकों के अन्दर अगर वह जमीन है ना [illegible] बढ़ जाएगी। यह चीजे तो है लेकिन [illegible] लालच मत करें और उनको दे [illegible] अगर मान लीजिये म्युनिसिपल [illegible] या डी० डी० ए० या सरकार [illegible] मेंट के लिये लेना जरूरी है [illegible] लीजिये आपकी जो प्लान है [illegible] कुछ जमीन ऐसी आती है जो [illegible] थी अगर जरूरी दिखाई देता है [illegible] उनसे बातचीत कर के मुआवजा [illegible] दे देते। जैसे अभी मेरे साथी ने [illegible] के बारे में कहा है। अगर ऐसा [illegible] है तो मुसलमान कोई देश का दुश्मन [illegible] नहीं है। यह हो सकता है कि [illegible] मुतवल्ली बना बैठा है और हलवा [illegible] कर खा रहा है और वह कह [illegible] पास कोई जमीन नही है लेकिन [illegible] जो पढ़ा-लिखा है यदि शहर [illegible] के लिये आवश्यक है तो यह [illegible] कब्जे में न रख कर यहा [illegible] जाए अथवा कोई और चीज [illegible] तो वह मान सकता है समझदार [illegible] मान सकता है। आप उनसे [illegible] के, बातचीत करके मुआव[illegible] फैसला क्यों नही करते। आप[illegible] कर लेना चाहिये, अगर कोई [illegible] है। दूसरे वे हिस्से है जो आप[illegible] दिया कि हमारे है ही नही [illegible] के नहीं है और वक्फ ने कह दि[illegible] हमारे है उस पर आप मुकदमा च[illegible] अगर चलाना है तो चलाते रहे [illegible] ऐसे जो मुकदमे चल रहे थे [illegible] भी आप चला रहे है। मेरी जानकारी यह है कि तीनों प्रकार की जायदादें [illegible] वर्नी कमेटी ने बनाई है उन तीनों पर [illegible] मुकदमा कायम किये हुए है। बजाय इसके कि मुकदमा वापस लेते, झगडा [illegible] मुकदमा फिर जारी कर दिया। [illegible] किया है, इसमें किसका नुक्सान [illegible] है। पैसा सरकार का यानी [illegible] है, पैसा वक्फ का यानी [illegible]

[श्री जगदीश प्रसाद माथुर]

वह भी पब्लिक का पैसा आपका भी पब्लिक का पैसा तो आप इसको बरबाद क्यों कर रहे हैं। इसलिये मेरा कहना यह है कि वर्नी कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया जाये। उस पर मेरे मित्र श्री शहाबुद्दीन जी ने जो कहा उसमें उनसे मेरा केवल इतना ही सुझाव है कि अगर ऐसे एरियाज जो दिल्ली के डवलपमेंट के लिये आवश्यक है आप दे नहीं सकते तो उनके ऊपर नेगोशियट करके आप उनको मुआवजा देकर मामले को खत्म कर दीजिये.. (व्यवधान) जिस वक्त शाहजहां थे उस वक्त की जायदाद समझते हैं क्या... (व्यवधान)

श्री सैयद शहाबुद्दीन : हमारे किराये के अनुसार नहीं है तो वैसे ही होगा...।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : दूसरी यह भी बात आई है कि 12 साल के बाद जो कानून है कि कब्जा हो जाये तो मैं इस वक्त नहीं कहूंगा कि इसको अलग कर दीजिये। अगर 12 साल के बाद तक कब्जा है और वह कब्जा बन जाता है जैसा कानून है और मैं यह कहूं कि वक्फ की जमीन से हटा दीजिये, तो मैं इस वक्त नहीं कहूंगा : मैं इस पक्ष में हूं कि अगर मान लीजिये वक्फ की जायदाद पर ज्यादा बैठ गये है और 12 साल बीत गये तो लिहाजा उसका कब्जा हो गया, यह नहीं होना चाहिये, लेकिन मैं इस वक्त इसको नहीं चाहता क्योंकि यदि आपने यह बना दिया तो आप जो मुकदमे चलाकर जमीन खाली करवाना चाहते हैं वह नहीं करवा पायेंगे अगर आप यह वादा कर लेंगे ये जितने झगड़े हैं वक्फ की जमीनों के फैसला कर देंगे वे सब सुलझ जायेंगे। उसके बाद मेरा सुझाव यह है कि आइंदा अगर कोई आदमी अगर गलती से वक्फ की जमीन पर कब्जा कर ले तो वह सौ साल तक भी बैठा रहे फिर भी उस का कब्जा नही माना जाय। यह आज मैं नहीं कहता, इसलिये नहीं कहता कि अगर यह कर लें, अगर आज कर लिया तो वे मियां सौ साल तक चलते रहेंगे कौन खाली करायेगा आप पहले सब चीजों का फैसला कर लीजिये कि वक्फ की जमीन वक्फ को दे दीजिये डी०डी०ए० की, डी० डी० ए० को, सब फैसला कर लीजिये उसके बाद कानून में परिवर्तन कर दीजिये कि वक्फ की जमीन के ऊपर चाहे कोई 12, 20 या 25 साल तक भी रहेगा तो भी उस पर काबिज नहीं हो सकता वह उसका अपना नहीं रहेगा।

अब तमाशा यह है कि पिछली सरकार ने वक्फ ने जो बहुत से काम कराये थे, वे भी रोक दिये। मैं सिर्फ दो ही उदाहरण देना चाहता हूं। पहला, कमला बाग के अंदर एक मैटरनिटी हास्पिटल है। मैटरनिटी हास्पिटल यहां चलता है कारपोरेशन में, सरकार ने तय किया कि यहां पर कारपोरेशन का मैटरनिटी हास्पिटल न होकर वक्फ अपना कोई काम करे। इसलिये दूसरी एक इमारत बनवायी गयी जिसको योजना हाउस कहा जाता है। वहां बिल्डिंग बन गयी है। यह मैटरनिटी हास्पिटल वहां जाना चाहिये और यह जो वक्फ की बिल्डिंग है इसके लिये चार लाख रुपया सेंट्रल काऊंसिल ने दे दिया, मंजूर कर दिया था और उसके बनने के बाद यहां पर मुसलमान लड़कियों के लिये स्कूल चलाया गया। यह कमाल किया आपकी सरकार ने कि जैसे ही कांग्रेस सरकार आई चार लाख रुपया जो मंजूर किया था वह वापस ले लिया और वापस लेने के बाद कारपोरेशन वालों ने यह नहीं किया कि कमला बाग का जो स्कूल था उसको हटाकर जो दूसरा बन चुका है वहां ले जाते। आखिर क्यों। यह मैं उदाहरण सिर्फ इसलिये दे रहा हूं कि इससे

वे यह समझें कि गड़बड़ कहां-कहां, कैसे-कैसे अफसर कर रहे हैं।

दूसरा एक और है एक वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीटयूट बच्चों का साढ़े तीन एकड़ लैण्ड पर, यह जो खैबर पास है, जो पाकिस्तान के पास नहीं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास है वहां पर बनना तय किया गया। उस पर रुपया मंजूर कर दिया गया लेकिन आपने कुछ नहीं किया। आखिर जो यह वक्फ की जमीन पड़ी है उसका इस्तेमाल किया जाये।

अब मोटे तौर पर मेरे दोस्त ने जो बातें यहां की हैं उनसे मैं पूरी तौर से सहमत हूं। अभी शायद मई या जून के महीने में जब नयी वक्फ काउंसिल बनी थी तब उसमें आप तशरीफ ले गये थे और वहां पर आपने भाषण दिया था उस भाषण में आपने कहा कि हम बहुत जल्दी एक नया कानून लाने वाले हैं। लेकिन अगर नये कानून का मतलब यह है कि सिर्फ छोटी-छोटी टिंकरिंग है उसको करके खत्म कर दिया जाय तो इसका कोई फायदा नहीं है। मेरा कहना यह है कि जैसे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक्ट है जिसके द्वारा जो सिख हैं वे अपने जितने भी गुरूद्वारे हैं उनकी व्यवस्था करते है, अगर सिक्खों को यह हक हासिल है तो मुसलमानों को यह हक क्यों नहीं हासिल है। मुसलमानों के लिये कहिये कि आप एक एक्ट बना दीजिये जिसके मुताबिक वह अपने लोक नुमाइंदे चुनें और चुन कर जो अच्छा चाहे अच्छा करें बुरा चाहें बुरा करें। कारण क्या है ? इसकी वजह से जो राज आता है, आप आते है, या जनता आती है, जो भी आएगा, वह अपने-अपने पिट्ठू ले जाकर के बिठा देगा।

आज पंजाब, हरियाणा और हिमाचल तीनों को मिला कर एक वक्फ बोर्ड है। वहां क्या हो रहा है। वह ... गया है : आपने ही ... कि ...

श्री सैयद अहमद हाशमी (उत्तर प्रदेश) : वह हमेशा ...

†[شری سید احمد هاشمی - (اتر ... وہ همیشه سوشلسٹ ...]

श्री जगदीश प्रसाद माथुर ... है ? वहां पर बेईमानी है। ... करोड़ों की हेरा-फेरी वहां पर है ... आप वहां अपने पिट्ठू न बिठाएं ... लफ्जों में कहना चाहता ... कांग्रेसी ला कर के वहां बिठा ... खाता है, मजा करता है, अपनी ... एंठता है। क्यों ? वह इसलिये कि ... वह मंत्री जी के पास चला जा... पी० के पास जायेगा और वह ... जायेगा। लेकिन अगर उसमें ... कि भाई पांच साल बाद फिर ... है, तो साहब वह कुछ तो ... बरतेगा और उसके अंदर ... लिखे जो मुसलमान है, जिनका ... ख्याल है, वह आगे आ सकते हैं।

इसलिये गुरद्वारा प्रबंधक ... आप संस्था हिन्दुस्तान ... और जो काबिल मुसलमान हैं ... मिनिस्टर करने का हक होना ... यह मेरी आपसे अर्ज है।

फिर कर्नाटक की बात मेरे ... कही। वहां पर मुझे मालूम नहीं ... मेरे पास अंदाज है, एक बार ... असेम्बली में जरूर आई थी वक्फ ... बोर्ड के लिये। शायद आप बना ... वक्फ डेवेलपमेंट बोर्ड वहां बना है ... बना है।

†[ ] Transliteration in Arabic ...

श्री सैयद अहमद हाशमी : वहां पर वक्फ डेवलपमेंट कारपोरेशन है।

†[شری سید احمد ہاشمی - وہاں پر وقت ڈیولپمینٹ کارپوریشن ہے]

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : अच्छा, कारपोरेशन बना है। ठीक है। अगर वक्फ डेवेलपमेंट कारपोरेशन है, तो आप इसको हर प्रांत में या एक जो सेंट्रल ला है, उसके साथ इसको कायम क्यों नहीं कर देते ? आप कायम कर देंगे, तो बहुत से ऐसे मसले जो मुसलमानों के है, मुसलमानों का मतलब मेरा गरीब मुसलमानों से है। जहां तक पैसे वाले मुसलमानों का सवाल है, उनको कोई अतिया नहीं चाहिये। उनको पैसा नहीं चाहिये, वह अपने लिये कर लेगा।

इस प्रकार से कुछ डवलपमेंट कारपोरेशन कहिये या एक बोर्ड बनाइये। एक ऐसा जिसको कहना चाहिये ओवरआल एक्ट जल्दी से जल्दी लायें। जल्दी का मतलब यह नहीं कि इसी सेशन में लाएं। नहीं, अगले दो-तीन सैशन में लाएं, पर एक टोटल एक्ट लाना चाहिये जिसमें कि मुसलमान अपनी जरूरियात को खुद समझ करके इंतजाम कर सकें और दिल्ली के लिये जैसे कि मैंने अर्ज किया है, बरनी कमेटी की रिपोर्ट को लागू करना चाहिये।

यह सर्वे 1985 तक न लटके। 1985 से साल दो साल पहले खत्म किया जाना चाहिये।

श्री सैयद रहमत अली (आन्ध्र प्रदेश) : मोहतरमा वाइस चैयरमैन साहिबा, अभी वक्फ लिमिटेशन के ताल्लुक से जो बिल मोहतरम ला मिनिस्टर साहब ने पेश किया है, मैं उसकी ताईद करता हूं।

इस बिल पर इजहारे ख्यालात करते हुए हमारे बहुत से इस हाउस के मोअजिज अरकान ने अपने ख्याल का इजहार किया।

†[ ] Transliteration in Arabic script.

मैं इस बिल पर इजहारे ख्याल करते हुए इस बात पर बड़ी हैरत और दुख का इजहार करता हूं कि वक्फ एक्ट जो एक मरकजी कानून की हैसियत रखता है, इस एक्ट के निफाज के बाद यह महसूस किया गया था कि मुल्क में नाफिज वक्फ के कानून में कुछ तबदीलियां जरूरी हैं।

मुझे याद पड़ता है कि पालियामेंट की एक कमेटी सैयद अहमद इंकवायरी कमेटी के नाम से बनाई गई थी। उस सैयद अहमद इंकवायरी कमेटी ने वक्फ एक्ट के बारे में और वक्फ के एडमिनिस्ट्रेशन के ताल्लुक से लगभग छह साल तक मुल्क का दौरा किया और मुल्क का दौरा करने के बाद कानूने वक्फ के बारे में अपनी रिपोर्ट मरकजी हुकूमत के पास उस कमेटी ने पेश की, और जब मरकजी हुकूमत ने सैयद अहमद साहब की कमेटी की जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट को रियासती सरकारों के पास भेजा, तो बहुत सी रियासती सरकारों ने और रियासती वक्फ बोर्डस ने अपने रिमार्क्स, अपने तासुरात और अपनी राय से आगाह और मुत्तला किया। लेकिन बड़ी अजीब दुख की बात है कि एक कमेटी वक्फ की कानून पर गौर करने के लिए छः साल काम करती है और गुजिश्ता तकरीबन दस बरस से कानूने वक्फ में एक जरूरी तरमीम लाने के लिए, एक मकसूद और जामी बिल पालियामेन्ट में नहीं पेश हो सकता है। तो इस पर जितना भी दुख किया जाए कम है।

मैं इस मौके पर यह बात अर्ज करना चाहता हूं कि वक्फ का कुछ छोटा-मोटा तजुर्बा मुझ को भी हासिल है और इस वक्त जो मरकजी वक्फ का कानून हिन्दुस्तान के पेश्तर रियासतों मे लागू है या उस कानून में जो तरमीमें की जाने वाली हैं, जो तरमीमात लायी जा

सकती हैं, उन के बारे में मैं ऐसा महसूस करता हूं कि ना तो मुल्क के मौजूदा कानून का वक्फ का जो मसला है वह मसला औकाफी जायदादों का तहफ्फुज कर सकता है और ना ही आने वाले सेशन में या दूसरे सेशन में वक्फ के लिए जो दूसरा तरमीमी बिल पेश होने वाला है वह बिल भी शायद औकाफी जायदादों के तहफ्फुज के लिए पूरी तौर से काम में न आ सके। उसकी वजह यह है कि मैं यह महसूस करता हूं कि औकाफी जायदादों को तबाह और बरबाद करने वाले, औकाफी जायदादों पर शान और ऐशो-तरब की जिंदगी गुजराने वाले, औकाफी जायदादों की मन्शा वाकिफ और मन्शा के खिलाफ इस्तेमाल करने वाले कोई और नहीं हैं, मुसलमान ही हैं। इस बात के मिस्दाक

"इस घर को आग लग गई घर के चिराग से।"।

अल्लाह के नाम पर हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने जायदादों को वक्फ किया था। उन औकाफ-शुदा जायदादों का गर्जो गायत मन्शा भी बदल दिया जाए। लेकिन निहायत अफसोस की बात है कि अल्लाह के नाम पर मौकूफा जायदादों की हिफाजत करने, उनकी खरा:त करने, उनकी आमदनी में इजाफा करने और उन जायदादों से होने वाली आमदनी को वक्फ की मन्शा के मुताबिक इस्तेमाल करने की बजाए, उन जायदादों को लापरवाही के साथ दूसरों के नाजायज कब्जे में चले जाने का मौका दिया गया है। मुल्क की तकसीम के बाद ही नहीं बल्कि मुल्क में एक आजाद और सेक्युलर जमहूरी हुकूमत के कयाम के बाद भी, बल्कि आज तक भी, औकाफी जायदादों का धंधा और औकाफी जायदादों का कारोबार खुले आम हर रियासत में हिन्दुस्तान के चल रहा है। इस पर अगर

कोई यह पूछे कि जब वक्फ के [illegible] व नस्र, या वक्फ के एडमिनिस्ट्रेशन [illegible] के हवाले कर दिया है तो फिर वक्फ बोर्ड अपने उन औकाफी जायदादों [illegible] तहफ्फुज करने में क्यों नाकामयाब [illegible] उसका हम जायजा लेने की कोशि[illegible] करें तो यह बात हमारे सामने आती [illegible] कि वक्फ के कानून में बोर्ड को [illegible] कानूनी अख्तियारात हासिल नहीं [illegible] जैसा मुझ से पहले एक मोअज्जि[illegible] मेम्बर ने बताया अगर वक्फ की [illegible] जायदाद पर नाजायज कब्जा हो [illegible] है तो वक्फ बोर्ड का सेक्रेटरी [illegible] डिपुटी कलक्टर के काडर का हो [illegible] उसको एक दरख्वास्त लेकर पुलिस [illegible] थाने में एक मामूली से शहरी की [illegible] से खड़ा होना पड़ता है और वही [illegible] कलक्टर जब कलक्टर के आफिस में [illegible] कलक्टर के फरायज अंजाम देता [illegible] उसको मजिस्ट्रेट के अख्तियारात [illegible] होते हैं। लेकिन जब वह डिपुटी [illegible] वक्फ बोर्ड के दफ्तर में आ [illegible] तो एक मामूली कारिंदे और [illegible] की हैसियत से काम करता है [illegible] तजवीज यह है कि वक्फ बोर्ड [illegible] इसके कि हमारी औकाफी जायदा[illegible] हिफाजत और तहफ्फुज के लिए [illegible] लती दरवाजे खटखटाएं, जिस [illegible] खुदमुख्तार बोर्ड को एक कार्पो[illegible] रिटी बनाने का अधिकार हो [illegible] के तौर पर हाउसिंग बोर्ड है, [illegible] बोर्ड की अपनी कांपीटेंट [illegible] होती है और वह कांपीटेंट [illegible] जुडीशल तौर पर समान [illegible] इविडेंस उसके सामने पेश होती [illegible] उसके दिए हुए फैसले अदालत [illegible] के तौर पर आईद किए जा[illegible] अगर आप औकाफी जायदादों की [illegible] में कानून में कोई तरमीम लाना [illegible] तो मैं मिनिस्टर साहब से [illegible] करना चाहता हूं कि आने वाले [illegible]

[श्री सैयद रहमत अली]

ऐसी गुंजाइश निकाली जाये कि औकाफी जायदादों के न सिर्फ तहफ्फुज के लिए बल्कि नाजायज कब्जों की बर्खास्तगी के लिए या किरायों के बकायों की वसूली के लिए जो सारे अख्तियारात हाउसिंग बोर्ड की काम्पीटेंट अथारिटी को हासिल होते हैं वही वक्फ बोर्ड की काम्पीटेंट अथारिटी को हासिल होने चाहिए।

इस के साथ-साथ मैं अर्ज करना चाहता हूं कि औकाफी जायदादों के सर्वे के ताल्लुक से यह बात कही गयी कि औकाफी जायदादों का सर्वे बाकी है। औकाफी जायदादों के सर्वे के बारे में मैं यह बात अर्ज करता हूं कि अगर सर्वे कमिश्नर ने किसी रियासत में वक्फ का सर्वे कर लिया हो तो समझिये मिसाल के तौर पर 30 हजार औकाफी जायदादों का सर्वे होता है. 30 हजार जायदादों के सर्वे के बाद सर्वे कमिश्नर अपनी रिपोर्ट वक्फ बोर्ड की अथारिटीज के पास फिजिकल वेरी-फिकेशन के लिए भेजता है। अब आप ही बताइये कि वक्फ बोर्ड के वसायल क्या हैं। क्या वक्फ बोर्ड 30 हजार जायदादों की सर्वे रिपोर्ट के बाद उन का फिजिकल वेरीफिकेशन कर सकता है? जाहिर है कि उस के पास इतने वसायल नहीं है कि फिजिकल वेरीफिकेशन किया जा सके। एक बात और है। फिजिकल वेरीफिकेशन के बगैर सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट को गजट में पब्लिश किया जाये तो गजट में पब्लिश करने के 3, 4, 5 लाख रुपए का खर्च वक्फ बोर्ड को बर्दाश्त करना पड़ता है। 4–5 लाख रुपये का खर्च वक्फ बोर्ड बर्दाश्त करने की हालत में नहीं होता। अगर 30–35 हजार जायदादों की एक फेहरिश्त गजट में शाया कर दी जाये तो फिर उस के बाद 90 हजार से डेढ़ लाख मुकदमे रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों की अदालतों में वक्फ बोर्ड के खिलाफ दायर कर दिये जायेंगे। इस लिए कि एक जायदाद पर दो आदमियों, तीन आदमियों, गवर्नमेंट का पंचायत का कब्जा होता है। जब उन नाजायज कब्जों की बर्खास्तगी की बात आयेगी तो ऐसी सूरत में अदालती कसमकश में वक्फ बोर्ड मुबतिला कर दिया जायेगा। दूसरे मैं मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहता हूं कि अगर सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट पर अदालती कशमकश में वक्फ की अथारि-टीज मुबतिला हो जायेंगी तो उन की माशी हालत के लिए क्या कोई गुंजाइश निकाली जायेगी। इस बारे में भी मैं जानकारी हासिल करना चाहता हूं।

इसके साथ-साथ दिल्ली में औकाफ के बारे में बड़ी तफसील के साथ इस हाउस में थोड़ी देर पहले बात आयी। मैं आली जनाब मिनिस्टर साहब की तवज्जह इस हाउस की जानिब से मुनत्तिब करना चाहता हूं कि कन्ट्री और टाउन प्लानिंग के नाम पर, लैंड यूज के नाम पर दिल्ली या हैदराबाद को या हिन्दुस्तान के किसी शहर को खूबसूरत बनाने के नाम पर हमारे टाउन प्लानर्स कन्ट्री डेवलपमेंट के लिये अगर हिन्दुस्तान से रूहानियत की कदरों को मटियामेट करना चाहते हैं तो उसको हिन्दुस्तान का कोई हिन्दू मुसलमान, ईसाई, पारसी सिख कभी बर्दाश्त करने के लिये तैयार नहीं है। हिन्दुस्तान का हर हिन्दू, हर मुसलमान, हर सिख, हर पारसी, हर ईसाई रूहानियत को मानने वाला है। वह खुदा पर भरोसा, एतमाद करता है, लेकिन मन्दिर को, मस्जिद को गिरजा को, गुरुद्वारे को अगर लैंड यूज के नाम पर आप तकलीफ करने की इजाजत न दें, बनाने की इजाजत न दें, मरम्मत करने की इजाजत न दें, बारिश की शिद्दत के बाद वह धंसती

जाये, गिरती जाये और दिल्ली की अथारिटीज उनकी मरम्मत की इजाजत न दें तो कितने दुख की, कितने अफसोस और शर्म की बात है। आप देखिये जनपथ होटल के सामने जो मस्जिद है उस मस्जिद के ताल्लुक से मैं आली जनाब मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या वजह है कि दिल्ली के दिल में जो मसजिद है, जो हमारे सेक्युलरिज्म की एक अलामत है वह धंसती हुई हिन्दुस्तान के सेक्युलरिज्म का मजाक उड़ा रही है और दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन उसकी तामीर की इजाजत नहीं देता।

†[شری سید رحمت علی (آندھرا پردیش) : محترمہ وائس چیئرمین صاحبہ ابھی وقف لمٹیشن کے تعلق سے جو بل محترم لا منسٹر صاحب نے پیش کیا ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں - اس بل پر اظہار خیال کرتے ہوئے ہمارے بہت سے اس ہاؤس کے معزز ارکان نے اپنے خیالات کا اظہار کیا - میں اس بل پر اظہار خیال کرتے ہوئے اس بات پر بڑی حیرت اور دکھ کا اظہار کرتا ہوں کہ وقف ایکٹ جو ایک مرکزی قانون کی حیثیت رکھتا ہے اس ایکٹ کے نفاذ کے بعد یہ محسوس کیا گیا تھا کہ ملک میں نافذ وقف کے قانون میں کچھ تبدیلیاں ضروری ہیں - مجھے یاد پڑتا ہے کہ پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی سید احمد انکوائری کمیٹی کے نام سے بنائی گئی تھی اس سید احمد انکوائری کمیٹی نے وقف ایکٹ کے ... میں اور وقف کے ایڈمنسٹریشن کے تعلق سے لگ بھگ چھ سال تک ... کا دورہ کیا اور ملک کا دورہ کرنے کے بعد قانون وقف کے بارے میں ... رپورٹ مرکزی حکومت کے پاس ... کمیٹی نے پیش کی اور جب ... حکومت نے سید احمد صاحب ... کمیٹی کی جو رپورٹ تھی اس کو ریاستی سرکاروں کے پاس ... تو بہت سی ریاستی سرکاروں ... ریاستی وقف بورڈ نے اپنے ... - اپنے تاثرات اور اپنی رائے ... اور مطالعہ کیا - لیکن بڑی ... دکھ کی بات ہے کہ ایک ... وقف کے قانون پر غور کرنے کے ... سال کام کرتی ہے اور گزشتہ ... دس برس سے قانون وقف میں ... ضروری ترمیم لانے کے لئے ایک ... اور جامع بل پارلیمنٹ ... میں پیش ہو سکا ہے - تو اس ... بڑی دکھ کیا جائے کم ہے -

... اس موقعہ پر یہ بات عرض ... چاہتا ہوں کہ وقف کا کچھ ... ہوتا تجربہ مجھ کو بھی ... اور اس وقت جو مرکزی ... قانون ہندوستان کے بیشتر ... میں لاگو ہے یا اس قانون ... کی جانے والی ہیں ... لائی جا سکتی ہیں ان ... میں ایسا محسوس ... کہ نہ تو ملک کے موجودہ

†[ ] Transliteration in Arabic script.

[شری سید رحمت علی]

قانون کا وقف کا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ اوقافی جائدادوں کا تحفظ کر سکتا ہے اور نہ ہی آنے والے سیشن میں یا دوسرے سیشن میں وقف کے لئے جو دوسرا ترمیمی بل پیش ہونے والا ہے وہ بل بھی شاید اوقافی جائدادوں کے تحفظ کے لئے پوری طور سے کام میں نہ آ سکے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اوقافی جائدادوں کو تباہ اور برباد کرنے والے - اوقافی جائدادوں پر شان اور عیش و طرب کی زندگی گزارنے والے - اوقافی جائدادوں کی واقف اور منشا کے خلاف استعمال کرنے والے کوئی اور نہیں ہیں - مسلمان ہی ہیں - اس بات کے مصداق .....

"اس گھر کو آگ لگ گئی
گھر کے چراغ سے -"

اللہ کے نام پر ہمارے اسلاف نے - ہمارے بزرگوں نے جائدادوں کو وقف کیا تھا - ان اوقاف شدہ جائدادوں کی غرض و غایت اور منشا بھی بدل دیا گیا نہایت افسوس کی بات ہے کہ اللہ کے نام پر موقوفہ جائدادوں کی حفاظت کرنے - ان کی خیانت کرنے ان کی آمدنی میں اضافہ کرنے اور ان جائدادوں سے ہونے والی آمدنی کو وقف کی منشا کے مطابق استعمال کرنے کے بجائے ان جائدادوں کو لاپرواہی کے ساتھہ دوسروں کے ناجائز قبضے میں چلے جانے کا موقعہ دیا گیا ہے - ملک کی تقسیم کے بعد ہی نہیں بلکہ ملک میں ایک آزاد اور سیکولر جمہوری حکومت کے قیام کے بعد بھی بلکہ آج تک بھی - اوقافی جائدادوں کا دھندا اور اوقافی جائدادوں کا کاروبار کھلے عام ہر ریاست میں ہندوستان میں چل رہا ہے - اس پر اگر کوئی یہ پوچھے کہ جب وقف کے نظم و نسق یا وقف کے ایڈمنسٹریشن وقف کے حوالے کر دیا ہے تو پھر وقف بورڈ اپنے ان اوقافی جائدادوں کا تحفظ کرنے میں کیوں ناکامیاب ہے - اس کا ہم جائزہ لینے کی کوشش کریں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ وقف کے قانون میں بورڈ کو کوئی قانونی اختیارات حاصل نہیں ہیں - جیسا مجھ سے پہلے معزز ممبر نے بتایا اگر وقف کی کسی جائداد پر ناجائز قبضہ ہو جاتا ہے تو وقف بورڈ کا سکریٹری جو کہ ڈپٹی کلکٹری کے کاڈر کا ہوتا ہے اس کو ایک درخواست لے کر پولیس کے تھانہ میں ایک معمولی سے شہری کی حیثیت سے کھڑا ہونا پڑتا ہے اور وہی ڈپٹی کلکٹر جب کلکٹر کے آفس میں ڈپٹی کلکٹر کے فرائض انجام دیتا ہے تو اس کو مجسٹریٹ کے اختیارات حاصل ہوتے ہیں - لیکن وہ جب ڈپٹی کلکٹر وقف بورڈ کے دفتر میں آ جاتا ہے تو ایک معمولی کارندے اور اہلکار کی حیثیت سے کام کرتا ہے - میری

میں میں یہ بات عرض کرتا
کہ اگر سروے کمشنر نے کسی
میں وقف کا سروے کر لیا ہو
مثال کے طور پر تیس ہزار
جائدادوں کا سروے ہوتا ہے -
ہزار جائدادوں کے سروے کے بعد
کمشنر اپنی رپورٹ وقف بورڈ
کے پاس فزیکل ویریفیکیشن
بھیجتا ہے - اب آپ ہی بتائیے
بورڈ کے وسائل کیا ہیں -
بورڈ تیس ہزار جائدادوں
رپورٹ کے بعد ان کا فزیکل
کر سکتا ہے - ظاہر ہے
کے پاس اتنے وسائل نہیں
فزیکل ویریفیکیشن کیا جاسکے -

ہے - فزیکل ویریفیکیشن
سروے کمشنر کی رپورٹ کو
پبلش کیا جائے تو گزٹ
کرنے کے ۳ - ۴ - ۵ لاکھ
خرچ وقف بورڈ کو برداشت
ہے - چار پانچ لاکھ روپیہ کا
بورڈ برداشت کرنے کی
نہیں ہوتا - اگر تیس
ہزار جائدادوں کی ایک
میں شائع کر دی جائے
کے بعد ۹۰ ہزار سے تیرہ
کے مختلف
عدالتوں میں وقف بورڈ
دائر کر دیئے جائیں گے -
ایک جائداد پر دو
آدمیوں - گورنمنٹ کا -
قبضہ ہوتا ہے - جب ان

تجویز یہ ہے کہ وقف بورڈ بجائے اس کے کہ ہماری اوقافی جائدادوں کی حفاظت اور تحفظ کے لئے عدالتی دروازے کھٹکھٹائیں جس طرح سے اور خودمختار بورڈ کے کامپیٹینٹ اتھارٹی بنانے کا اختیار ہے - مثال کے طور پر ہاؤسنگ بورڈ ہے - ہاؤسنگ بورڈ کی اپنی کمپیٹینٹ اتھارٹی ہوتی ہے اور وہ کمپیٹینٹ اتھارٹی جوڈیشل طور پر سماعت کرتی ہے - اویکشن اس کے سامنے پیش ہوتی ہے اور اس کے دیئے ہوئے فیصلے عدالت کی ڈگری کے طور پر عائد کئے جاتے ہیں - اگر آپ اوقافی جائدادوں کے تحفظ میں قانون میں کوئی ترمیم لانا چاہتے ہیں تو میں منسٹر صاحب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آنے والے قانون میں ایسی گنجائش نکالی جائے کہ اوقافی جائدادوں کے نہ صرف تحفظ کے لئے بلکہ ناجائز قبضوں کی برخاستگی کے لئے یا کرایوں کے بقایوں کی وصولی کے لئے جو سارے اختیارات ہاؤسنگ بورڈ کی کمپیٹینٹ اتھارٹی کو حاصل ہوتے ہیں وہی وقف بورڈ کی کمپیٹینٹ اتھارٹی کو حاصل ہونے چاہئیں -

اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اوقافی جائدادوں کے سروے کے تعلق سے یہ بات کہی گئی کہ اوقافی جائدادوں کا سروے باقی ہے - اوقافی جائدادوں کے سروے

†[شری سید رحمت علی] :
ناجائز قبضوں کی برخاستگی کی بات آئے گی تو ایسی صورت میں عدالتی کشمکش میں وقف بورڈ مبتلا کر دیا جائے گا - دوسرے میں منسٹر صاحب سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر سروے کمشنر کی رپورٹ پر عدالتی کشمکش میں وقف کی اتھارٹیز مبتلا ہو جائے گی تو ان کی معاشی حالت کے لئے کیا کوئی گنجائش نکالی جائے گی - اس بارے میں بھی میں جانکاری حاصل کرنا چاہتا ہوں - اس کے ساتھ ساتھ دلی میں اوقاف کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس ہاؤس میں تھوڑی دیر پہلے بات آئی - میں عالی جناب منسٹر صاحب کی توجہ اس ہاؤس کی جانب منعطف کرنا چاہتا ہوں کہ کنٹری اور ٹاؤن پلاننگ کے نام پر - ایلنڈ یوز کے نام پر - دلی یا حیدرآباد کو یا ہندوستان کے کسی شہر کو خوبصورت بنانے کے نام پر ہمارے ٹاؤن پلانرس کنٹری ڈولپمینٹ کے لئے اگر ہندوستان سے روحانیت کی قدروں کو ملیامیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ہندوستان کا کوئی ہندو - مسلمان - عیسائی - پارسی - سکھ کبھی برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں - ہندوستان کا ہر ہندو - ہر مسلمان - ہر سکھ - ہر پارسی - ہر عیسائی روحانیت کو ماننے والا ہے - وہ خدا پر بھروسہ - اعتماد کرتا ہے - لیکن مندر کو - مسجد کو - گرجا کو - گوردوارے کو اگر لینڈ یوز کے نام پر آپ تعمیر کرنے کی اجازت نہ دیں - بنانے کی اجازت نہ دیں - مرمت کرنے کی اجازت نہ دیں - بارش کی شدت کے بعد وہ دھنستی جائے - گرتی جائے اور دلی کی اتھارٹیز ان کی مرمت کی اجازت نہ دے تو کتنے دکھ کی اور کتنے افسوس و شرم کی بات ہے - آپ دیکھئے جن پتھ ہوٹل کے سامنے جو مسجد ہے اس مسجد کے تعلق سے میں عالی جناب منسٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ دلی کے دل میں جو مسجد ہے - جو ہمارے سیکولرازم کی ایک علامت ہے وہ ہستی ہوئی ہندوستان کے سیکولرازم کا مذاق اڑا رہی ہے - اور دلی کا ایڈمنسٹریشن اس کی تعمیر کی اجازت نہیں دیتا -]

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी (आन्ध्र प्रदेश) : इजाजत दे दी है।

श्री सैयद रहमत अली : मुझे बड़ी खुशी है कि इजाजत मिली। मैं यह बात अर्ज करूं कि मैंने यह सुना है कि तालकटोरा रोड पर एक मंदिर है। उस मंदिर की तामीर के लिये जब कोशिश शुरू की गयी तो डी० डी० ए० के लोग पहुंचे और उन्होंने कहा कि आप इस की तामीर नहीं कर सकते। यह बात मुनासिब नहीं है। इस लिये आप के जो टाउन प्लानर्स हैं या जो आप की डी० डी० ए० की अथारिटीज हैं उन्हें हिन्दुस्तान के मिजाज को समझना चाहिए।

मैं इस मौके पर यह बात याद दिलाना चाहता हूं कि मेरे पास एक पैंफ्लेट आया था कि पहाड़गंज एरिया में किसी और ने नहीं, बल्कि एक मुसलमान ने एक मस्जिद को होटल में बदल दिया और वहां पर कामरान होटल के नाम से वह अपना धंधा चला रहा है।

[†شری سید رحمت علی : مجھے بڑی خوشی ہے کہ اجازت ملی -
میں یہ بات عرض کروں کہ میں نے یہ سنا ہے کہ تال کٹورا روڈ پر ایک مندر ہے - اس مندر کی تعمیر کے لئے جب کوشش شروع کی گئی تو ڈی - ڈی - اے - کے لوگ پہنچے اور انہوں نے کہا کہ آپ اس کی تعمیر نہیں کر سکتے - یہ بات مناسب نہیں ہے - اس لئے آپ کے جو ٹاؤن پلانرس ہیں - یا آپ کی جو ڈی - ڈی - اے - کی آتھارٹی ہے انہیں ہندوستان کے مزاج کو سمجھنا چاہئے - میں اس موقع پر یہ بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ میرے پاس ایک پمفلیٹ آیا تھا کہ پہاڑگنج ایریا میں کسی اور نے نہیں بلکہ ایک مسلمان نے ایک مسجد کو ایک ہوٹل میں بدل دیا اور وہاں پر کامران ہوٹل کے نام سے وہ اپنا دھندہ چلا رہا ہے -]

श्री सैयद शहाबुद्दीन : मैं आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं कि इस मस्जिद की ग्राउन्ड फ्लोर को गोदाम बना दिया गया है और जो मस्जिद का सबसे मुकद्दस हिस्सा होता है उसकी मेहराब को पाखाने में बदल दिया गया है।

† [ ] Transliteration in Arabic script.

श्री सैयद रहमत अली : मैं इस मस्जिद के बारे में जिक्र कर रहा था कि एक पैंफ्लेट मेरे पास आया है। अब यह पूछा जाये कि जो होटल की या गोदाम बनाने की इजाजत देने वाली अथारिटीज हैं वह दिल्ली की म्युनिसिपल कमेटी होगी या डी० डी० ए० होगा उन्होंने किस तरह से खुदा की इबादतगाह को होटल या गोदाम में बदल देने की इजाजत दी है और इस मामले पर गौर करने की जरूरत है।

वैसे आखिर में मैं कहना चाहता हूं कि मैंने हाल ही में देखा कि हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाये अली की एक मस्जिद है जिस को मोती मस्जिद के नाम से पुकारा जाता है। दिल्ली के बहादुर शाह ज़फर ने उस की तामीर करायी थी। लेकिन आज उसका हाल यह है कि वहां झाड़ू के कट्टे और सिगरेट और बीड़ी के सैकड़ों टुकड़े और तमाम गंदगी जमा है और इसको मैंने अपनी आंखों से देखा है। इस लिये जरूरी है कि हमारे जो मजहबी मुकामात हैं उनकी हिफाजत के लिये जो मुताल्लिक अथारिटीज हैं वह अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें।

मैं आखिर में अर्ज करूंगा कि बड़ी खुशी की बात है कि मरकजी वक्फ कौंसिल की मीटिंग हमारे मिनिस्टर साहब ने तलब की है, लेकिन इस बार पता नहीं क्या वजह थी कि उस मरकजी वक्फ कौंसिल के इजलास में रियासती वक्फ के मिनिस्टरान को और वक्फ के चेयरमेन्स को नहीं बुलाया गया। मैं मशविरा देना चाहता हूं कि इस कौंसिल में जिस तरह से पहले चेयरमेन्स को और दूसरे मुताल्लिक लोगों को बुलाया जाता था उसी तरह से इस बार भी बुलाया जाना चाहिए ताकि उन के तजुर्बात से हम फायदा उठा सकें।

आखिर में मैं इस बिल की भरपूर ताईद करता हूं और यह उम्मीद रखता हूं कि बहुत जल्द एक कांप्रेहेंसिव कानून तमाम मुताल्लिक कानूनों में तरमीम लाते हुए यहां पेश होगा।

†[شری حبیب سید رحمت علی:

میں اس مسجد کے بارے میں ذکر کر رہا تھا کہ ایک شکایت میرے پاس آیا ہے۔ اب یہ پوچھا جائے کہ جو ہوٹل کی یا گودام بنانے کی اجازت دینے والی اتھارٹیز ہیں وہ دلی کی میونسپل کمیٹی ہوئی یا ڈی۔ ڈی۔ اے۔ ہوگا۔ انہوں نے کس طرح سے خدا کی عبادت گاہ کو ہوٹل یا گودام میں بدل دینے کی اجازت دی ہے اور اس معاملہ پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔

ویسے آخر میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے حال ہی میں دیکھا کہ حضرت بختیار کاکی رحمتہ اللہ علیہ کی ایک مسجد ہے جس کو موتی مسجد کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ دلی کے بہادر شاہ ظفر نے اس کی تعمیر کرائی تھی۔ لیکن آج اس کا حال یہ ہے کہ وہاں جواریوں کے کٹے اور سگریٹ اور بیڑی کے سیکڑوں ٹوٹے اور تمام گندگی جمع ہے اور اس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ ہمارے جو مذہبی مقامات ہیں ان کی حفاظت کے لئے جو متعلق اتھارٹیز ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں۔

میں آخر میں عرض کرونگا کہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ مرکزی وقف کونسل کی میٹنگ ہمارے منسٹر صاحب نے طلب کی ہے۔ لیکن اس بار پتہ نہیں کیا وجہ تھی کہ اس مرکزی وقف کونسل کے اجلاس میں ریاستی وقف کے منسٹران کو اور وقف کے چیرمین کو نہیں بلایا گیا۔ میں مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اس کونسل میں جس طرح پہلے چیرمین کو اور دوسرے متعلق لوگوں کو بلایا جاتا تھا اس طرح سے اس بار بھی بلانا چاہئے تاکہ ان کے تجربات سے ہم فائدہ اٹھا سکیں۔

آخر میں میں اس بل کی بھرپور تائید کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ بہت جلد ایک کانپریہینسو قانون تمام متعلق قانونوں میں ترمیم لاتے ہوئے یہاں پیش ہوگا۔]

श्री सैयद अहमद हाशमी : मादम वाइस चेयरमेन साहिबा, मसले के दो अलग अलग हिस्से हैं। एक मसला तो इस बिल के मुताल्लिक है जो आज हाउस में पेश है और जिसमें पब्लिक वक्फ एक्सटेंशन आफ लिमिटेशन दिल्ली अमेंडमेंट बिल के नाम से उन जायदादों के मुकदमों के सिलसिले में तौसीह का हक दिया जा रहा है जिनको अभी तक नजायज कब्जों से छुडाया नहीं जा सका है। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस मकसद के लिये यह बिल पेश किया गया है शायद यह बिल उस पूरे मकसद को पूरा

†[ ] Transliteration in Arabic script.

नहीं करता। एक तो इस बिल के अंदर यह स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स ऐंड रीजन्स के अंदर जो वजह बतलायी गयी है कि यह ऐक्सटेंशन आखिर क्यों अमल में आया। यह एक्सटेंशन का मसला इसलिए आया कि तकसीम के इक्तसादी बैकग्राउन्ड में हिन्दुस्तान के बंटवारे के इक्तसादी पसमंजर में न सिर्फ यहां के एक सूबे में बल्कि पूरे मुल्क में एक ऐसी सिचुएशन थी कि वक्फ जायदादों पर जिसने जब चाहा, जितना चाहा, कब्जा किया। उसके अन्दर वह काबिज हो गये। चुनान्चे सिर्फ वक्फ ऐक्ट का लाना ही काफी नहीं समझा गया बल्कि यह भी समझा गया कि नाजायज कब्जों से वक्फ जायदादों को निकालने के लिए यह जरूरी है कि ऐक्स का वह प्राविजन इस पर लागू न हो जो 12 साल के कब्जे का होता है इसलिए इसको ऐक्जम्प्ट किया गया था और उसका टाइम मुकर्रर किया गया था। लेकिन इत्तिफाक से उस मुद्दत के खत्म होने के बाद भी सूबों के अन्दर ऐसी शक्ल पैदा नहीं हो सकी कि तमाम औकाफ जायदादों को बागुजार किया जा सके। हो सकता है कि कुछ सूबों ने इसमें आगे बढ़कर पेशकदमी की हो, लेकिन खसूसियत से वह सूबे जो वाराहैरास्त हिन्दुस्तान की तकसीम के शिकार रहे, जैसे मुत्तहदा पंजाब को ले लीजिए, देहली, उत्तर प्रदेश खासकर मगरबी उत्तर प्रदेश को लें तो महसूस यह किया गया कि अभी बहुत सी जायदादें हैं और आज भी आपके सामने इतना तस्करा आया कि हिन्दुस्तान की आजादी के 30 वर्षो के बाद भी इसी दिल्ली में मरकजी हुकुमत की नाक के नीचे कितनी जायदादें ऐसी हैं जो आज तक बागुजार नहीं की जा सकीं। न सिर्फ जायदादें बल्कि आज भी मसजिदें दूसरों के कब्जे में है। दिल्ली के मुकाबले में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब का मसला ले लें तो ऐसी कितनी ही मसजिदें हैं, दुनिया की बात छोड़ दीजिए, हिन्दुस्तान के अन्दर ऐसी कितनी ही मसजिदें हैं जो कि दूसरों के कब्जे में हैं जिन्हें देखकर हिन्दुस्तान के रहने वालों का सिर शर्म से झुक जाएगा क्योंकि यह सेक्यूलर कंट्री है। इसलिए इस मसमंजर के रहते हुए, यह बिल पहले भी आया, आज भी आया लेकिन आप गौर करें कि औकाफ की जायदादों का तगाफुल उन मानों में तो हो सकता है कि उन जायदादों के लिए जो स्पेसिफिकली किसी रिफ्यूजी या ऐसे आदमी के कब्जे में हों तो शायद हो सकता है आप लिमिटेशन ऐक्ट के जरिये उनको बागुजार करने का हक दे सकें; लेकिन उनके आलावा ऐसी कितनी जायदादें हैं जो दूसरों के कब्जे में हैं, नाजायज कब्जे में हैं, उनको बागुजार होना चाहिये। मैं सिर्फ इसको मुसलमानों का मसला नहीं समझता हूं। इसलिए कि मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान में मुसलमान एक माइनारिटी है, एक कमजोर वर्ग है, इकानामिकली बेकवर्ड है, इक्तसादी और महाशी करार से यह हिन्दुस्तान के हक में है कि यह तबका खुशहाल हो। इसके अन्दर डेवलपमेंट हो और यह आगे बढ़े और मैं कहूं कि हिन्दुस्तान की बात तो छोड़ दीजिए, दिल्ली के अन्दर इतने औकाफ हैं कि आज यहां पर वाकइ वे वागुजार हो जाये और वह दूसरों के कब्जे से छुट जायें तो मैं समझता हुं कि कम से कम मैं दिल्ली की बात को रखकर कह सकता हूं कि दिल्ली के मुसलमान गरीब नहीं रह सकते! मैं कहता हूं कि यह दिल्ली की ही बात नहीं है, यह हिन्दुस्तान के हक में है कि हिन्दुस्तान में मुसलमानों की औकाफ जायदादों

[श्री सैयद अहमद हाशमी]

को दूसरों के हाथों से निकाला जाए। मैं यह अर्ज कर रहा था कि आपका यह बिल नाजायज कब्जों को कवर नहीं करता जो उस बैकग्राउण्ड के अलावा है। इसलिये इस कमजोरी को दूर करना चाहिये। ऐसे ही दूसरी जायदादों के मुकदमें दायर होते हैं तो कोर्ट में उनकी फीस माफ करने की बात यहां पर कही गई है। मैं यह कहता हूं कि अगर आप इस कमी को दूर नहीं करते हैं तो जो जायदाद वाकई नाजायज कब्जे में है उन जायदादों के अलावा जिनको आपने स्पेसिफाई किया है इस एक्ट के अन्दर, उनकी फीस देनी पड़ेगी। उनको कोर्ट फीस देनी पड़ेगी। इसकी तरफ भी गौर किया जाये। दूसरी चीज यह है कि इस लिमिटेशन बिल के अन्दर वक्फ बाई यूजर इसके अन्दर कवर नही है। आज मैं कहता हूं कि बहुत से डिस्प्यूट, जिनके कागजात हैं, शायद उन पर इतने डिस्प्यूट नहीं होते, जितने बिना कागजात वालों पर होते है। कोर्ट यह कहता है कि कागजात लाओ, डाकुमेंट लाओ। वहां फिजीकली मौके पर जायें तो वहां कब्रिस्तान मिलेगा, मस्जिदें मिलेंगी। कोर्ट कहता है कि अगर डाकुमेंट नही देते हैं तो मुकददमा दर्ज नहीं होगा। आज कई कब्रिस्तान पर नाजायज कब्जा इसलिये है कि वक्फ बाई यूजर्स के बिना पर, वक्फ की हैसियत से इस्तेमाल होते हैं। उनसे डाकुमेंट अगर आप मांगेंगे तो डाकुमेंट वक्फ बोर्ड नहीं दे सकता, कोई भी आदमी नही दे सकता। अगर आप किसी मुसलमान से कहें, दिल्ली वक्फ बोर्ड से कहें कि वह डाकुमेंट दे तो वह नहीं दे सकता।

मैं अर्ज कर रहा था कि एक मसला तो यह है कि इस लिमिटेशन बिल के अन्दर जो आपने पेश किया है इसके अन्दर यह कमी है कि वक्फ बाई यूजर्स को यह कवर नहीं करता। इस तरीके से वह कमजोरी बाकी है, जिससे कि आप औकाफ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, हिफाजत करना चाहते हैं। लेकिन यह बात अपनी जगह पर सही है कि दिल्ली इन मामलों में बहुत मजलूम है। मेरे भाई मकसूद अली खां साहब जो कर्नाटक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, हमारे आन्ध्र प्रदेश के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी, इस पर बोले। सभी ने अपनी-अपनी बात कही। हर स्टेट के अपने-अपने मसाइल हैं, दिल्ली के जो मसाइल हैं वे कर्नाटक के नहीं हो सकते जो आन्ध्रा के मसाइल हैं वे दिल्ली के नहीं हो सकते। दिल्ली के अन्दर सूरतेहाल अजीब सी है। बरनी कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद वे जायदाद जो शार्टआउट हो गई थी और उन जायदादों की जो शार्ट आउट होने के बाद कब्रिस्तान डिकलेयर कर दिया था, आज भी एशियाई खेलों के स्टेडियम निजामुद्दीन में उन कब्रिस्तान पर हैं।

†[شری سید احمد ھاشمی- مقدم]

وائس چیرمین صاحبہ- مسئلہ کے دو الگ الگ حصے ھیں- ایک مسئلہ تو اس بل کے متعلق ھے جو آج ھاؤس میں پیش ھے اور جس میں پبلک وقف ایکسٹینشن آف لمیٹیشن دلی امینڈمینٹ بل کے نام سے ان جائدادوں کے مقدموں کے سلسلہ کے میں توسیع کا حق دیا جارہا ھے جن کو ابھی تک ناجائز قبضوں سے چھڑایا نہیں جاسکا ھے- لیکن میں سمجھتا ھوں کہ جس مقصد کے لئے یہ بل پیش کیا گیا ھے شاید یہ بل اس

†[ ] Transliteration in Arabic script.

پورے مقصد کو پورا نہیں کرتا۔ ایک تو اس بل کے اندر یہ اسٹیٹمینٹ آف اوبجیکشن اینڈ ریزنس کے اندر جو وجہ بتلائی گئی ہے کہ یہ ایکسٹینشن آخر کیوں یہ ایکسٹینشن کا مسئلہ اس لئے آیا کہ تقسیم کے اقتصادی بیکگراونڈ میں ہندوستان کے بٹوارے کے اقتصادی پس منظر میں نہ صرف یہاں کے ایک صوبہ میں یا نہ پورے ملک میں اک ایسی سچوایشن تھی کہ وقف جائدادوں پر جس نے جب چاہا جتنا چاہا قبضہ کیا اس کے اندر وہ قابض ہوگئے چنانچہ صرف وقف ایکٹ کا لانا ہی کافی نہیں سمجھا گیا بلکہ یہ بھی سمجھتا تھا کہ ناجائز قبضوں سے وقف جائدادوں کو نکالنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ ایکٹ کا وہ پراویژن اس پر لاگو نہ ہو جو بارہ سال کے قبضہ کا ہوتا ہے۔ اس لئے اس کو ایگزیمپٹ کیا گیا تھا اور اس کا ٹائم مقرر کیا گیا تھا لیکن اتفاق سے اس مدت کے ختم ہونے کے بعد بھی صوبوں کے اندر ایسی شکل پیدا نہ ہوسکی کہ تمام اوقاف کی جائدادوں کو باگزار کیا جاسکے ہو سکتا ہے کہ کچھ صوبوں نے آگے بڑھکر پیشقدمی کی ہو۔ لیکن خصوصیت سے وہ صوبہ جو براہ راست ہندوستان کی تقسیم کے شکار رہے۔ جیسے متحدہ پنجاب کو لیجئے۔ دہلی۔ اترپردیش۔ خاصکر مغربی اترپردیش کو لیں تو محسوس یہ

کہا گیا کہ ابھی بہت سی جائدادیں ہیں اور آج ہی آپ کے سامنے اتنا تزکرہ آیا کہ ہندوستان کی آبادی کے تیس ورشوں بعد بھی اسی دلی میں مرکزی حکومت کی ناک کے نیچے کتنی جائدادیں ایسی ہیں جو آج تک باگزار نہیں کی جاسکیں۔ نہ صرف جائدادیں بلکہ آج بھی مسجدیں دوسروں کے قبضہ میں ہیں۔ دلی کے مقابلے میں ہریانہ۔ ہماچل پردیش۔ اور پنجاب کا مسئلہ لے لین تو ایسی کتنی ہی مسجدین ہین - دنیا کی بات چھوڑ دیجئے ہندوستان کے اندر ایسی کتنی ہی مسجدین ہین جو کہ دوسروں کے قبضے مین ہین جنہین دیکھ کر ہندوستان کے رہنے والوں کا سر شرم سے جھک جائے گا - کیونکہ یہ سیکولر کنٹری ہے اسلئے اس پس منظر کے رہتے ہوئے یہ بل پہلے بھی آیا آج بھی آیا لیکن آپ غور کرین کہ اوقاف کی جائدادون کا مقابل ان مقدون مین تو ہو سکتا ہے کہ ان جائدادون کیلئے جو اسپیسفیکلی کس رفیوجی یا ایسے آدمی کے قبضے مین ہوں تو شاید ہو سکتا ہے آپ لمیٹیشن ایکٹ کے ذریعہ انکو با گزار کرنے کا حق دے سکین انکے علاوہ ایسی کتنی جائدادین ہین جو دوسرون کے قبضہ مین ہین - ناجائز قبضہ مین ہین انکو باگزار ہونا چاہئے مین صرف اسکو مسلمانون کا مسئلہ نہین سمجھتا ہون اسلئے کہ مین

[شری سید احمد ہاشمی]

سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں مسلمان ایک مائناریٹی میں ایک کمزور ورگ ہے اکانومکلی بیک ورڈ ہے - اقتصادی اور معاشی طور پر یہ ہندوستان کے حق میں ہے کہ یہ طبقہ خوشحال ہو اسکے اندر ڈولپمنٹ ہو اور یہ آگے بڑھے اور میں کہوں کہ ہندوستان کی بات تو چھوڑ دیجئے دلی کے اندر اتنے اوقاف ہیں کہ آج یہاں پر واقعی وہ باگزار ہو جائیں اور وہ دوسروں کے قبضہ سے چھوٹ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم دلی کی بات کو رکھکر کہہ سکتا ہوں کہ دلی کے مسلمان غریب نہیں رہ سکتے - میں کہتا ہوں کہ یہ دلی ہی کی بات نہیں ہے یہ ہندوستان کے حق میں ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی اوقاف کو جائدادوں کو دوسرے کے ہاتھوں سے نکالا جائے - میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج کا یہ بل ناجائز قبضوں کو دور نہیں کرتا جو اس بیک گراونڈ کے علاوہ ہے - اسلئے اس کمزوری کو دور کرنا چاہئے ایسی ہی دوسری جائدادوں کے مقدمے دائر ہوتے ہیں تو کورٹ میں انکی فیس معاف کرنے کی بات یہاں پر کہی گئی ہے - میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اس کمی کو دور نہیں کرتے ہیں تو جو جائداد واقعی ناجائز قبضہ میں ہے ان جائدادوں کے علاوہ جن کو آپ نے ایمپلی فائی کیا ہے اس ایکٹ کے اندر ان کو فیس دینی پڑے گی - ان کی کورٹ فیس دینی پڑے گی - اس طرف بھی غور کیا جائے - دوسری چیز یہ ہے کہ اس لمیٹیشن بل کے اندر وقف بائی یوزر اس کے اندر کور نہیں ہے - آج میں کہتا ہوں کہ بہت سے ڈسپیوٹ - جن کے کاغذات ہیں شاید ان پر اتنے ڈسپیوٹ نہیں ہوتے جتنا بلا کاغذات والوں پر ہوتے ہیں - کورٹ یہ کہتا ہے کہ کاغذات - ڈاکومنٹس لاو - وہاں فزیکلی موقعہ پر جائیں تو وہاں قبرستان ملے گا - مسجدیں ملیں - کورٹ کہتا ہے کہ اگر ڈاکومینٹس نہیں دیتے ہیں تو مقدمہ درج نہیں ہوگا - آج کئی قبرستان پر ناجائز قبضہ اس لئے ہے کہ وقف بائی یوزرس کے بلا پر - وقف کی حیثیت سے استعمال ہوتے ہیں - ان سے ڈاکومینٹس اگر مانگیں گے تو ڈاکومینٹس وقف نہیں دے سکتا - کوئی بھی آدمی نہیں دے سکتا - اگر آپ کسی مسلمان سے کہیں دلی وقف بورڈ سے کہیں کہ وہ ڈاکومینٹس دے تو وہ نہیں دے سکتا -

میں عرض کر رہا تھا کہ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اس لمیٹیشن بل کے اندر جو آپ نے پیش کیا ہے اس کے اندر یہ کمی ہے کہ وقف بائی یوزرس کو یہ کور نہیں کرتا - اس طریقہ سے وہ کمزوری باقی ہے جس

ہے کہ آپ اوقاف کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں - حفاظت کرنا چاہتے ہیں - لیکن یہ بات اپنی جگہہ پر صحیح ہے کہ دلی ان معاملوں میں بہت مظلوم ہے - محترم بھائی مقصود علی خان صاحب جو کرناٹک وقف بورڈ کے چیئرمین ہیں - ہمارے آندھرا پردیش کے وقف بورڈ کے چیئرمین بھی اس پر بولے - سبھی نے اپنی اپنی بات کہی - ہر اسٹیٹ کے اپنے اپنے مسائل ہیں - دلی کے جو مسائل ہیں وہ کرناٹک کے نہیں ہو سکتے - جو آندھرا کے مسائل ہیں وہ دلی کے نہیں ہو سکتے - دلی کے اندر صورتحال عجیب سی ہے - برنی کمیٹی کی رکمنڈیشن کے بعد وہ جائداد جو شارٹ آؤٹ ہوگئی تھی اور ان جائدادوں کو جو شارٹ آؤٹ ہونے کے بعد قبرستان ڈکلیر کر دیا تھا آج بھی ایشیائی کھیلوں کے اسٹیڈیم نظام الدین میں ان پر قبرستان ہیں -]

श्री सैयद शहबुद्दीन : वह हमारे सीने पर हैं ।

श्री सैयद अहमद हाशमी : वह हमारे सीने पर हैं । खुद अगर हुकूमत इन्क्रोचमेंट करने को तैयार हो तो डी०डी०ए० तो उसकी सबोर्डीनेट बोडी है, वह क्यों छोड़ेगी । मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि कुछ दिनों तक मैं न सिर्फ दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहा हूं बल्कि बरनी कमेटी का एक फरीक भी रहा हूं । हमारे सामने बरनी कमेटी के वे सारे नेगोसिएशन्स हैं । इस सिलसिले के अन्दर बेहतर तफसील नहीं आई । बरनी कमेटी की तफसील यह है कि मजबूरी दर्जे में दिल्ली वक्फ बोर्ड ने जो आपके मणिपुर के गवर्नर हैं, वह पहले दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, हमारे साथी थे, उसके बाद हम उनके सक्सेसर बने, लिहाजा वह रिकमेंडेशन करके चले गये लेकिन उसको फालो-अप मुझे करना पड़ा । जनरल शाहनवाज खां उस जमाने में वक्फ के मिनिस्टर थे । उस जमाने में आपकी ही हकूमत थी । कांग्रेस की हकूमत थी । उसके बाद कुछ समय तक हमारे बखत साहब वर्क्स हाउसिंग के मिनिस्टर थे । जनाबेआली उस बरनी कमेटी की रिकमेंडेशन के अन्दर यह बात थी कि दिल्ली वक्फ बोर्ड ने कम से कम दर्जे यह बात मान ली थी और इस शक्ल में मान ली थी दिल्ली की जितनी कंसर्न्ड अथोरिटी हो सकती थी – चाहे वह एन० डी० एम० सी० हो, डी० डी० ए० हो, दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन हो, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन हो, एल० एण्ड डी० ओ० हो—जितनी अथोरिटीज हो सकती थीं उन सारी की सारी ने जमा हो कर उन पर दस्तखत किये हैं । उस बरनी कमेटी पर उन सब के दस्तखत हैं । इसलिये कोई नहीं कह सकता कि उस रिकमेंडेशन पर किस को एक्सेप्टेंस है, किस को एक्सेप्टेंस नहीं है । उसमें बुनियादी चीज यह थी कि दिल्ली वक्फ बोर्ड ने या बरनी कमेटी ने यह मान लिया था कि वे जायदादें जो मसाजीद, कब्रिस्तान के लिये एक्जिस्ट करती हैं जिनके निशानात अलामतें मौजूद हैं उसका हक दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, अथोरिटीज छोड़ दे। दिल्ली वक्फ बोर्ड के हवाले कर देगी। लेकिन शर्म की बात है कि नेगोशिएशन आखिरी दर्जे में हुआ । वर्क्स एण्ड हाउसिंग मिनिस्टर भगत जी और जनरल शाहनवाज खां और दूसरी अथोरिटीज के सामने मसला सिर्फ दस्तखत का रह गया था, सारी बातें खत्म हो चुकी थीं, तय हो चुकी थीं, सिर्फ दस्तखत करने बाकी थे । दस्तखत नहीं किये गये ।

लेकिन मैं कहता हूं कि छोड़ दीजिये उस बीच के पीरियड को जिसमें जनता पार्टी की हुकूमत थी। आज जब आपकी हुकूमत है तो आपका क्या रुख है उस बर्नी कमेटी के बारे में? आप क्या कहते हैं उस बारे में और आपका एम क्या है? मुझे तो खतरा महसूस हुआ जब हमारे श्री शहाबुद्दीन साहब ने एक क्वेश्चन का जवाब सुनाया। मुझे तो अन्दाजा यह होता है कि नियते बागवां दुरुस्त नहीं है। मैं क्या कहूं, किसकी शिकवा कहूं —

शुक्रिया पुरसिसे गम का,
मगर इसरार न कर पूछने वाले,
यह तेरा ही कहीं राज न हो।

आज तो हालत यह है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाने के लिए तैयार है। ऐसी हालत में छोटी मछली क्या करेगी? . . . (**व्यवधान**) मैं कहूं कि उसका दूसरा हिस्सा और भी शर्मनाक है। एक जमाना था ब्रिटिश इम्पायर का। वह हुकूमत गैर-मुल्की हुकूमत थी साम्राज्यी हुकूमत थी जिसके जुए से निकलने के लिए हिन्दुस्तान के हर शहरी ने आजादी की जद्दोजहद में हिस्सा लिया और हिन्दुस्तान आजाद हुआ। लेकिन क्या ब्रिटिश साम्राज्य का वही क्राइटेरिया जिसने दिल्ली को एक्वायर करने के लिए मुगलों की सल्तनत को छीन लिया था, आज भी उसी तरह से लागू किया जाएगा मुगलों की सल्तनत आज भी यहां पर हर तरफ बिखरी पड़ी है। यहा पर हर तरफ बिखरी थी दास्तां मेरी। ऐसी बहुत-सी जायदादें थीं जिनको ब्रिटिश साम्राज्य ने एक्वायर कर लिया उसका मुआवजा भी मुसलमानों ने नहीं लिया। दिल्ली का पुराना रिकार्ड देखा जा सकता है। लेकिन महज इसलिए कि जिन हिस्सों को तोड़कर वे नई दिल्ली बनाना चाहते थे उनको तोड़ा जाय और जो बाकी हिस्सा रह गया उसमें कब्रिस्तान और मस्जिदें वीरान हो जायं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या नेशनल गवर्नमेंट का भी यही क्राइटेरिया होगा? बर्नी करेटी और वर्क्स और हाउसिंग मिनिस्टर की जो बात हुई थी उसमें यह बात तय हो गई थी कि नेशनल गवर्नमेंट का यह रवैया नहीं होगा। दिल्ली में जो लागत अन्डर एग्रीमेन्ट की है वह खत्म हो जाएगा और जितनी भी मस्जिदें और कब्रिस्तान हैं वे सारे के सारे दिल्ली वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिए जाएंगे। मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि वह क्राइटेरिया जो ब्रिटिश साम्राज्यवादियों का था. एग्रीमेन्ट और नान-एग्रीमेन्ट, वह खत्म होना चाहिए। उसकी वजह से जनपथ की मस्जिद या हाई कोर्ट की जो मस्जिद है, वे गिर रही हैं। कन्टोनमेन्ट में भी मस्जिदें हैं और लोग आकर हमसे कहते रहते है कि वे गिर रही हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड बेबस है। वह कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए जाहिर बात है कि आप इनको वापस करें। लेकिन उसके अलावा इस बिल की बैकग्राउन्ड में मैं एक मिसाल दूं कि एक पलटन वाली मस्जिद दरियागंज में है। सड़क की दूसरी ओर पटलन वाली मस्जिद के नाम से यह कहा जाता है। चूंकि बर्नी कमेटी ने जो जायदाद सेट की, उसमें यह पलटन वाली मस्जिद भी थी। वक्फ कौंसिल और मिनिस्टर आफ वर्क्स एण्ड हाउसिंग ने एक फैसला किया और उस बुनियाद पर पलटन मस्जिद के डेवलपमैंट प्लान के लिए दो लाख रुपये मंजूर किये गये। मुझे मालूम नहीं कि वे दो लाख रुपये दिल्ली वक्फ बोर्ड को मिले या नहीं लेकिन यह इस बात का सबूत है कि बर्नी कमेटी का इम्प्लीमेन्टेशन आखिरी शकल तक पहुंच चुका था। अगर उसके बाद कोई बात होती है तो वह फरेब है, धोखा है। वह महज जमीन का टुकड़ा उसी तरह से दरियागंज के अन्दर पड़ा हुआ है। उसके लिए रेडियो और

टी० वी० पर प्रपोगण्डा किया गया कि दो लाख रुपये उसकी डेवलपमेन्ट के लिए दिये गये हैं। लेकिन आज तक उसका कुछ नहीं हुआ।

†[شری سید احمد ھاشمی - وہ

ہمارے سہلہ پر ہیں - خود اگر حکومت انکراچمینٹ کرنے کو تیار ہو تو ڈی - ڈی - اے - تو اسکی سب آرٹیلیٹیٹ باقی ہے وہ کیوں چھوڑے گی - میں یہ اسلئے کہہ رہا ہوں کہ کچھ دنوں تک میں نہ صرف دھلی وقف بورڈ کا چیرمین رہا ہوں بلکہ برنی کمیٹی کا ایک فریق بھی رہا ہوں - ہمارے سامنے برنی کمیٹی کے وہ سارے نیگوسی ایشنس ہیں - اس سلسلے کے اندر بہتر تفصیل نہیں آتی - برنی کمیٹی کی تفصیل یہ ہے کہ مجبوری کے درجہ میں دلی وقف بورڈ نے جو آپکے مدھی پور کے گورنر ہیں وہ پہلے دلی وقف بورڈ نے چیرمین تھے - ہمارے ساتھی تھے - اسکے بعد ہم انکے سکسیسر بنے لہذا وہ رکمنڈیشن کر کے چلے گئے - لیکن اسکو فالو اپ مجھے کرنا پڑا - جناب شاہ نواز اس زمانہ میں وقف کے منسٹر تھے - اس زمانہ میں آپ کی ہی حکومت تھی - کانگریس کی حکومت تھی - اسکے بعد کچھ سمے تک ہمارے بھگت صاحب ورکس ھاؤسنگ کے منسٹر تھے - جناب عالی اس برنی کمیٹی کی رکمنڈیشن کے اندر یہ بات تھی کہ دلی وقف بورڈ نے کم سے کم درجہ میں بات مان لی تھی اور اس شکل میں مان لی تھی - دلی کو جتنی کنسرنڈ اتھارٹی ہو سکتی تھی چاہے وہ این - ڈی - ایم - سی - ھو - ڈی - ڈی - اے ھو - دلی میونسپل کارپوریشن ھو - دلی ایڈمنسٹریشن ھو - ایل اینڈ ڈی - ھو جتنی اتھارٹیز ھو سکتی تھیں ان ساری کی ساری نے جمع ھو کر ان پر دستخط کئے ھیں - اس برنی کمیٹی پر ان سب کے دستخط ھیں - اسے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اکماڈیشنس پر کسکی ایگزسٹینس ہے - کسکی ایکسپنڈنس نہیں ہے - اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ دلی وقف بورڈ نے یا برنی کمیٹی نے یہ مان لیا تھا کہ وہ جائدادیں جو مسجد - قبرستان کیا ایگزسٹ کرتی ھیں جنکے نشانات - علامتیں موجود ھیں اسکا حق دلی اڈمنسٹریشن اتھارٹی بورڈ دے - دلی وقف بورڈ کے حوالے کر دے گی - لیکن شرم کی بات ہے کہ نیگوشی ایشن آخری دور میں ھوا - ورکس اینڈ ھاؤسنگ منسٹر بھگت جی اور جنرل شاھنواز خان اور دوسری اتھارٹیز کے سامنے مسئلہ صرف دستخط کا رہ گیا تھا - ساری باتیں ختم ھو چکی تھیں - طے ھو چکی تھیں - صرف دستخط کرنے باقی تھے - دستخط نہیں کئے گئے لیکن میں کہتا ھوں کہ چھوڑ دیجئے اس بیچ کے پیریڈ کو جسمیں جنتا پارٹی کی حکومت تھی - آج جب آپکی حکومت ہے تو آپ کا کیا رخ ہے اس برنی کمیٹی کے رویے میں - آپ کیا کہتے ھیں

†[ ] Transliteration in Arabic script.

[شری سید احمد ہاشمی]

اس بارے میں اور آپ کا ایم کہا ہے - مجھے تو خطرہ محسوس ہوا - ہمارے شری شہاب الدین صاحب نے ایک کوئشچن کا جواب سنایا - مجھے تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ نیت بانفہان درست نہیں ہے میں کیا کہوں - کس سے شکوہ کروں ۔

شکریہ پر مسس غم کا مگر اسرار نہ کر -
پوچھنے والے یہ تیرا ہی کہیں راز نہ ہو -

آج تو حالت یہ ہے کہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھانے کے لئے تیار ہے - ایسی حالت میں چھوٹی مچھلی کیا کرے گی - "مداخلت"— میں کہوں کہ اسکا دوسرا حصہ اور بھی شرمناک ہے - ایک زمانہ تھا کہ برٹش امپائر کا - وہ حکومت غیر ملکی حکومت تھی - سامراجیہ حکومت تھی جسکے جوے سے نکلنے کے لئے ہندوستان کے ہر شہری نے آزادی کی جدو جہد میں حصہ لیا اور ہندوستان آزاد ہوا - لیکن کیا برٹش سامراجیہ کا وہی کرائی ٹیریا جس نے دلی کو اکوائر کرنے کیلئے مغلوں کی سلطنت کو چھین لیا تھا - آج بھی اسی طرح سے لاگو کیا جائیگا ..... مغلوں کی سلطنت آج بھی یہاں پر ہر طرف بکھری پڑی ہے یہاں پر ہر طرف بکھری تھی داستان میری—ایسی بہت سی جائیدادیں تھیں جنکو برٹش سامراجیہ نے اکوائر کر لیا - اس کا معاوضہ بھی مسلمانوں نے نہیں لیا - دلی کا پرانہ ریکارڈ دیکھا جا سکتا ہے - لیکن محض اسلئے کہ جن حصوں کو توڑ کر وہ نئی دلی بنانا چاہتے تھے انکو توڑا جائے اور جو باقی حصہ رہ گیا اس میں قبرستان اور مسجدیں ویران ہو جائیں - میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا نیشنل گورنمینٹ کا بھی یہی کرائی ٹیریا ہوگا - ..... جرنی کمیٹی اور ورکس اور ہاؤسنگ منسٹر کی جو بات ہوئی تھی اس میں یہ طے ہو گئی تھی کہ نیشنل گورنمنٹ کا یہ رویہ نہیں ہوگا - دلی میں جو لعنتی انڈر اگریمینٹ کی ہے وہ ختم ہو جائیگی اور جتنی بھی مسجدیں اور قبرستان ہیں وہ سارے کے سارے دلی وقف بورڈ کے حوالے کر دیے جائینگے - میں یہ بات اس لئے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کرائٹیریا جو برٹش سامراجیہ وادیوں کا تھا - اگریمنٹ اور نام اگریمینٹ - وہ ختم ہونا چاہئیے - اسکی وجہ سے جامع مسجد کی جو مسجد یا ہائی کورٹ کی جو مسجد ہے وہ کہ وہی ہیں - کنٹونمینٹ میں بھی مسجدیں ہیں اور لوگ آکر ہم سے کہتے رہتے ہیں کہ وہ گر رہی ہیں - لیکن وقف بورڈ بیکس ہے - وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے - اسلئے ظاہر بات ہے کہ آپ انکو واپس کریں - لیکن

اسکے علاوہ اس بل کی بیک گراؤنڈ میں ایک مثال دوں کہ ایک پلٹن والی مسجد دریا گنج میں ہے - سڑک کی دوسری طرف پلٹن والی مسجد کے نام سے یہ کہا جاتا ہے - چونکہ برنی کمیٹی نے جو جائیداد سیٹ کی ہے اسمیں یہ پلٹن والی مسجد بھی تھی - "وقف کونسل اور منسٹر آف ورکس اینڈ ہاؤسنگ نے ایک فیصلہ کیا اور اس بنیاد پر پلٹن مسجد کے ڈولپمینٹ پلان کے لئے دو لاکھ روپیہ منظور کئے گئے - مجھے معلوم نہیں وہ دو لاکھ روپے دلی وقف بورڈ کو ملے یا نہیں - لیکن یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ برنی کمیٹی کا کمپلیمینٹیشن آخری شکل تک پہنچ چکا تھا - اگر اسکے بعد کوئی بات ہوتی ہے تو وہ فریب ہے - دھوکا ہے - وہ محض زمین کا ٹکڑا اسی طرح سے دریا گنج کے اندر پڑا ہوا ہے - مس کے لئے ریڈیو اور ٹی - وی - پر پروپیگنڈہ کیا گیا کہ دو لاکھ روپیہ اسکی ڈولپمینٹ کے لئے دئے گئے ہیں - لیکن آج تک اسکا کچھ نہیں ہوا -]

श्री जी० सी० भट्टाचार्य : जामा मस्जिद के लिये कहिये जो हालत कर रखी है।

श्री सैयद अहमद हाशमी : हिन्दुस्तान के अन्दर एक मस्जिद नहीं . . . (**व्यवधान**) मैंने एक स्पैसिफिक मिसाल दी कि आप गौर करें कि बरनी कमेटी के सिलसिले

के अन्दर आप क्या मूरने ... नीयत यह है कि बरनी ... रेकमन्डेशंस है उनका ... खेलों में शुरू किया ... साहब गये थे ... फिजिकली दिखलाया गया ... जो बात की गई और ... पर कही कि यह ... और कम से कम यह ... कि वाइलेशन हम खैर ... यह टैम्परेरी है और कम ... जरूर करेंगे, हम बरनी ... सिफारिशों का इम्प्लीमेंटे... खैर यह बात तो अ... दिल्ली के गये नाल... यह इन्क्रोचमेन्ट किया ... बात यह है आप में ... निजामुद्दीन के अन्दर ... है। वह जो पब्लिक ... हुआ है दिल्ली वक्फ ... ऊपर। मुकदमे ... भी रहा और उस ... किये गये। जब ... कन्टेम्प्ट आफ कोर्ट ... वक्फ अगर कोर्ट ... कोर्ट हो जाता है। ... है। हमें खुशी है ... दिया है। लेकिन ... दिल्ली वक्फ बोर्ड ... दिल्ली की हर जायदा... हर सड़क के ऊपर ... चाहिए और तख्तों ... यह वक्फ की मिल्कि... जनाबेआली, वह कुछ ... है। गजट है। लेकिन ... कहूंगा कि ये सब ... मैं कह रहा हूं कि ... तसलीमशुदा है कि ... है लेकिन हमारे पास ... कोई जायदाद नहीं ... अपने डेवलपमेन्ट के ...

जो कि हमारे जमाने में बने थे उनको हम पूरा नहीं कर सकते। . . . (**व्यवधान**) यह उनकी अमलदारी है और लालकिले पर वह क्लैम करे तो वह जायज है। यह सूरते हाल है लेकिन उसके अन्दर, (**समय की घंटी**) माफ कीजियेगा, मुझे वक्त बहुत कम मिला है।

उपसभाध्यक्ष डा० (श्रीमती) नाजमा हेपतुल्ला : आपको 20 मिनट के करीब हो गये।

श्री सैयद अहमद हाशमी : यह अपनी जगह बात सही है कि वक्फ ऐक्ट, 1954 है, यह जाहिर है। लेकिन हालत है कि एनवाद इतना पुराना और इतना बोसीदा हो चुका है कि आज की हालत के अन्दर उसकी एफेक्टिवनेस, उसका असर जायल हो चुका है। हो सकता है कि इसके बाद वह ठीक हो लेकिन आज वह एफेक्टिव नहीं रहा है और इस ऐक्ट के होते हुए भी आज जितना इन्क्रोचमेन्ट हो रहा है उतना पहले नहीं हुआ था। वह एक साफ मामला था कि बहुत सारे रिफ्यूजी आ गये, वह खास वक्त थी, लेकिन आज जितना इन्क्रोचमेन्ट हो रहा है, शायद इससे पहले इतना कभी नहीं हुआ। आज दिल्ली के अन्दर ही नहीं मैं कहता हूं कि दिल्ली के बाहर भी बहुत सी जगहों पर यह इनक्रोचमेन्ट कम्युनल रायट्स का सबब बन रहे हैं। बिहार शरीफ का रायट, बिहार के सदस्य यहा बैठे हुए है, बिहार शरीफ का रा2ट और मैं इसमें फुलवारी शरीफ को भी जोड़ दूंगा उसके अन्दर झगड़े का सबब वे जमीनें हैं जो औकाफ की जमीनें हैं और कब्रिस्तान हैं जिनको लैंड आफ ग्रेव कहते है। बिहार शरीफ में कब्रिस्तान पर इन्क्रोचमेन्ट करने पर कम्युनल राइट किया गया। हमारे उसमान आरिफ साहब चले गये, उनकी इल्म में है कि राजस्थान के मुखतल्फि हिस्सों के अन्दर इस तरह से हुआ गवर्नमेंट की अरबन इम्प्रूवमेन्ट पालिसी के नाम पर। हमने इस बारे में रेप्रजन्टेशन दिये हैं और वे हमेशा इस बात पर जोर देते हैं और कहते हैं कि सबूत लाइये। हम कहां से सबूत लायें? हम उनसे कहते हैं कि आप कागजात को छोड़ दीजिये आप फिजीकली जाकर देखें कि . .

†[**شری سید احمد ہاشمی :** ہندوستان کے اندر ایک مسجد نہیں "مداخلت" میں نے ایک اسپیسیفک مثال دی کہ آپ غور کریں کہ برنی کمیٹی کے سلسلے کے اندر آج کیا صورتحال ہے اور آپ کی نیمت یہ ہے کہ برنی کمیٹی کی جو رکمنڈیشن ہے ان کا انکروچمنٹ ایشیائی کیپلرں میں شروع کیا گیا - شہاب الدین صاحب گئے تھے وہاں - انہیں فزیکلی دکھایا گیا ... "مداخلت" ... تو یہ بات کی گئی اور مدن لے وہاں پر کہا کہ یہ واقعی قبرستان ہے اور کم سے کم یہ بات تسلیم کی گئی کہ وائلیشن ہم خود کر رہے ہیں لیکن یہ ٹیمپوریری ہے اور کم سے کم ہم اتنا ضرور کریں گے - ہم برنی کمیٹی کی سفارش کا امپلی میلنٹیشن ضرور کریں گے - خیر یہ بات تو اپنی جگہ پر رہی دلی کے گئے تعلق سے - لیکن جو یہ انکروچمنٹ کیا ہے اور دلچسپ بات یہ ہے اور میں مثال

†[ ] Transliteration in Arabic script.

ادھار)- آپ کو ۲۰
... ہوگئے-

... مد ہاشمی- یہ اپنی
... ہے کہ وقف ایکٹ
... ہے- لیکن حالات
اتنا پرانا اوور اتنا
... کہ آج کی حالت
... ایکٹ ... اس کا
... ہو سکتا ہے کہ
... ہو لیکن آج وہ
... ہے اور اس ایکٹ
... جتنا انکریمنٹ
... پہلے نہیں ہوا تھا- وہ
... تھا- کہ بہت
... گئے تھے- وہ خاص
... آج جتنا انکریمنٹ
... اس سے پہلے اتنا
... آج دلی کے اندر ہی
... ہوں کہ دلی کے
... بہت سی جگہوں پر یہ
... رائٹس کا سبب
... شریف کا وائٹ-
... یہاں بیٹھے ہوئے
... کا رائٹ اور میں
... شریف کو بھی جوڑ
... جھگڑے کا سبب وہ
... کی زمینیں
... ہیں- جس کو
... کہتے ہوں- بہار
... انکروچمنٹ
... رائٹ کیا گیا-

دوں کہ یہاں نظام الدین کے اندر ایک پبلک اسکول ہے - وہ جو پبلک اسکول ہے وہ بنا ہوا ہے دلی وقف بورڈ کی زمین کے اوپر - مقدمہ بازی رہی لیٹی گیشن بھی رہا اور اس پر کچھ اور قبضے کئے گئے - جب دوسرا قبضہ کرے تو کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں ہوتا لیکن وقف بورڈ اگر کرے تو وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو جاتا ہے - عجیب و غریب منزل ہے - ہمیں خوشی ہے کہ آپ نے موقعہ دیا ہے - لیکن حالت ایسی ہے کہ دلی وقف بورڈ یہ کہتا ہے کہ دلی کی ہر سڑک کے اوپر وقف بورڈ ہونا چاہئے اور تختی لگی ہونی چاہئے کہ یہ وقف کی ملکیت ہے- لیکن جناب عالی وہ کنجی اس کے پاس نہیں ہے- لیکن میں کہتا ہوں کہ کہ وہ بات جو کہ تسلیم شدہ ہے کہ پوری دلی ہماری ہے لیکن ہمارے پاس زمین نہیں ہے- کوئی جائداد نہیں ہے- جو کبھی اس کے اپنے ڈولپمنٹ کے پروجیکٹ اور پلان جو کہ ہمارے زمانے میں بنے تھے ان کو ہم پورا نہیں کرسکتے (مداخلت) یہ اس کی عماداری ہے اور لال

قلعہ پر وہ کلیم کرے تو وہ جائز ہے- یہ صورت حال ہے لیکن اس کے اندر (وقت کی گھنٹی) معاف کیجئے کا مجھے وقت بہت کم ملا ہے- آپ سبھا ادھیکش (ڈاکٹر (شریمتی)

ہمارے عثمان عارف صاحب چلے گئے ان کے علم میں ہے کہ راجستھان کے مختلف حصوں کے اندر اس طرح سے ہوا گورنمنٹ کی اربن اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کے نام پر- ہم نے اس بارے میں ریپریزینٹیشن دیئے ہیں اور وہ ہمیشہ اس بات پر زور دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ثبوت لائیے - ہم کہاں سے ثبوت لائیں - ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ کاغذات کو چھوڑ دیجئے آپ فزیکلی جا کر دیکھیں کہ.....]

श्री सयद शहाबुद्दीन हाश : कभी कभी हड्डी निकल जाती है ।

श्री सैयद अहमद हाशमी : जनाबेआली, आज कितनी ही जगहों पर इन्क्रोचमेंट इस लालच के अन्दर किया जा रहा है क्योंकि जमीनों के भाव आसमान को छू रहे हैं और इस इन्क्रोचमेंट के कारण आज लड़ाई-झगड़े, अकम्युनल राइट्स हजारों-लाखों की संख्या में हो रहे हैं और ला एंड आर्डर की प्राबलम खड़ी हो गई है ।

5 P.M.

और ऐसे इफेक्टिव वक्फ एक्ट का होना बहुत जरूरी है । दिल्ली के बारे में तो ठीक है बर्नी कमेटी आ जाए तो उससे बहुत से मसाईल हल हो जायेंगे । लेकिन आन दी होल आप गौर कीजिए यह भी बदकिस्मती है हिन्दुस्तान के अन्दर वक्फ ऐक्ट, 1954 नाफीज़ है । लेकिन आज भी बहुत से सूबे हिन्दुस्तान के अन्दर हैं जहां वक्फ ऐक्ट लागू नहीं है । महाराष्ट्र और गुजरात में आज भी वक्फ ऐक्ट लागू नहीं है । इससे सारी जायदादें बरबाद हो रही हैं । तो एक नये वक्फ एक्ट का आना जरूरी है । लेकिन अगर वह वक्फ एक्ट उस तरह का आए जैसे पिछले दिनों सितम्बर, 1981 के अन्दर आपके साबिक ला मिनिस्टर ने मुस्लिम मैम्बराने पालियामेंट को कानफिडेंस में लेने के लिए एक मीटिंग बुलाई थी कि आइंदा वह वक्फ एक्ट लाने वाले हैं उसके बारे में एक ब्रीफ दिया था कि इन लाइनों के ऊपर वक्फ एक्ट आ रहा है । वह वक्फ एक्ट आ रहा था उन लाइनों के ऊपर जो वक्फ इन्वायरी कमेटी ने रिकमेंड किया है जिसके मुताल्लिक अभी चर्चा हुई कि सन् 1970 के अन्दर वक्फ इन्क्वायरी कमेटी बनी थी लेकिन सन् 1976 के अन्दर उसने रिपोर्ट दी । उसके अन्दर भी लैकूनाज हैं । सन् 1976 के बाद सन् 1981 के अन्दर आज हम बैठे हुये हैं । इसीलिए दूसरी मुस्लिम औकाफ कांफ्रेंस का हवाला दिया हमारे दोस्त शहाबुद्दीन ने जो कि दिल्ली के अन्दर हुई थी । उस वक्त इन्क्वायरी कमेटी के जितने मैम्बरान थे वे सारे के सारे उसके अन्दर शामिल थे उनको उन्होंने नया रिकमेंडेशन दिया जो कि गवर्नमेंट के सामने सबमिट है । मैं कहूंगा कि वक्फ कौंसिल के अन्दर एक कमेटी है उसके सामने भी सबमिट है । खुद वक्फ कौंसिल की कमेटी ने सारी सिचुएशन पर गौर किया था । उन सब सूरतेहाल, जरूरियात, उन सारे मैमोरेंडम्ज रिकमेंडेशंस जो इस बीच में हुये हैं सामने रख कर अगर कोई कम्प्रेहेंसिव वक्फ एक्ट नहीं लाया गया तो फिर से इनइफेक्टिव हो जाएगा, फिर से नामंजूर हो जाएगा और काबिले कबूल नहीं होगा । इसलिए पिछले दिनों जब वह नोट आफ डिसेंट दिया गया था, मुस्लिम मैम्बरान पालियामेंट ने उसी वक्त अपना नोट आफ डिसेंट दिया था । ईवन यह है कि हमारे अब्दुल रहीम साहब बैठे हुए हैं उन्होंने भी पिछले दिनों मुस्लिम मैम्बरान पालियामेंट के साथ

मीटिंग की थी लेकिन वहां पर कुछ इख़्तलाफी प्वाइंट ग्राफ डिफरेंस वहां पर रखे थे कि अगर इन लाइनों के ऊपर वक्फ एक्ट आया तो वह मुस्लिम कम्युनिटी के लिए काबिले कबूल नही होगा । मुस्लिम औकाफ के लिए वह इफेक्टिव और मुफीद नही होगा। इसलिए मैं कहूंगा कि अगर कोई वक्फ एक्ट आना है तो वह ऐसा आये कि जो वाकई मुस्लिम कम्युनिटी के लिए आन दी होल कानफिडेंस पैदा करे और वे समझ सकें कि मुस्लिम औकाफ मुफीद होंगे, इफेक्टिवनेस कायम रहेगी और इससे मुस्लिम कम्युनिटीज का डेवलपमेंट हो सकेगा। एक बात अपनी जगह पर है । यह बात इस हाउस के अन्दर आई कि मुख़तलिफ किसम के मामले में यू० पी० के अन्दर लैण्ड एक्विजिशन एक्ट के अन्दर हाई कोर्ट तक चला गया वक्फ बोर्ड लेकिन क्या हुआ । उनको बेनिफिट नहीं मिला और जो एक मस्जिद एक्वायर कर ली गई थी, आप गौर कीजिए जो मस्जिद एक्वायर कर ली गई थी वह वापिस नही मिल सकी । आप कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? जब तक आप रेवेन्यू एक्ट के अन्दर कोई ऐसा अमेंडमेंट नहीं लायेंगे तब तक प्रोटेक्ट नहीं कर सकते । महज सिर्फ गाइडलाइन से कि साहब इससे बचा जाए । आपको बता दूं रेवेन्यू एक्ट के अन्दर और लैण्ड एक्वीजीशन एक्ट के अन्दर है कि ऐसी जमीनों को एक्वायर करने से बचा जाए लेकिन जाहिर है कि वह कानून का मकसद पूरा नहीं हो सकता । आपको एक्वायर करना है तो कर ही लेना है । आपको ऐसी दफा को इस ऐक्ट के अन्दर शामिल करना चाहिये जिससे ऐसी इबादतगाहों का एक्वीजीशन न हो सके वरन् जाहिर है कि यह बड़ी मुश्किल की बात है । लेकिन एक दूसरी बात मैं यह कहता हूं कि आज भी

अगर वक्फ बोर्डों का [illegible] गये जिससे कि वे [illegible] सेटल कर सकें और [illegible] को बहाल करा सकें [illegible] कानून बनाने का कोई [illegible] मैं कहता हूं कि वह [illegible] जिम्मेदार हैं । बेसिक [illegible] बात के लिए । आज [illegible] अन्दर एनक्रोचमेंट होता [illegible] यह है जैसे एक [illegible] के ऊपर पहले तो [illegible] मिनिस्ट्री के गाया [illegible] एनक्रोचमेंट होता है । [illegible] धीरे झुग्गी-झोपड़िया [illegible] न डी० डी० ए० वाले [illegible] और बोलता है । यहां [illegible] के जरिए से जब [illegible] जाते हैं, बराबर हो [illegible] बाद डी० डी० ए० इधा [illegible] सारी जमीन अपने [illegible] हैं । शाह वलीउल्ला [illegible] के पहले शुभचिन्तक [illegible] में आजादी की [illegible] यहां से अंग्रेजों का जाना [illegible] यहां उनका कब्रिस्तान [illegible] दिया गया, खत्म कर [illegible] वहां पर आज डी० [illegible] है । ऐसे ही एक [illegible] लिए । तो मैं कहूंगा [illegible] होना चाहिए । आज [illegible] यह है कि महज [illegible] जो नाजायज आक्रमण [illegible] हैं । अभी मौलाना [illegible] पीछे माता सुंदरी [illegible] रुपए की वक्फ [illegible] करेंगे, हमारा गुरुद्वारा [illegible] स्कूल था उन्होंने [illegible] ऐसे कितनी ही [illegible] की जमीने है । तो [illegible]

[श्री सैयद अहमद हाशमी]

शक्ल नहीं बनाएंगे, जो आइंदा एक्ट लाने वाले हैं, जिसे कि आप इन नाजायज कब्जों से लोगों को निकाल सकें तब तक उसका कोई फायदा नहीं होगा।

इसी तरीके से वक्फ डेवलपमेंट कारपोरेशन की बात है। कर्नाटक के अंदर की एक मिसाल हैं उससे काफी सीखा जा सकता हैं . . (व्यवधान) कल्पनाथ राय जी को इस पर बहुत ज्यादा वह होना चाहिए अगर मैं बोल रहा हूं तो कुछ उनके सूबे की बात भी आ जायेगी लेकिन वे फिक्रमंद हैं कि मैं क्यों बोल रहा हूं।

†[شری سید هاشمی - جناب عالی - آج کتنی جگہوں پر انکروچمینٹ اس لالچ کے اندر کیا جارہا ہے سیرئیکه زمینوں کے بھاو آسمان کو چھو رہے ہیں - اور اس انکروچمینٹ کے کارن آج لڑائی جھگڑے کمیونل رائٹس ہزاروں لا اینڈ کی سنکھیا میں ہو رہے ہیں اور لا اینڈ آرڈر کی پرابلم کھڑی ہوگئی ہے - اور ایسے افیکٹیو وقف ایکٹ کا ہونا بہت ضروری ہے - دلی کے بارے میں تو ٹھیک ہے ورنہ بنگی آجائے تو اس سے بہت سے مسائل حل ہو جائینگے - لیکن آن دی ہول آپ غور کیجئے یہ بھی بد قسمتی ہے ہندوستان کے اندر وقف ایکٹ 1954ء نافذ ہے - لیکن آج بھی بہت سے صوبے ہندوستان کے اندر ہیں جہاں وقف ایکٹ لاگو نہیں ہوتا - مہاراشٹر اور گجرات میں آج بھی وقف ایکٹ لاگو نہیں ہے - اس سے ساری جائدادیں برباد ہو رہی ہیں - تو ایک نئے وقف ایکٹ کا آنا ضروری ہے - لیکن اگر وہ وقف ایکٹ اسطرح جیسے پہلے دنوں ستمبر 1981ء کے اندر ہمارے سابق لا منسٹر نے مسلم ممبران پارلیمنٹ کو کونفیڈینس میں لینے کیلئے ایک میٹنگ بلائی تھی کہ آئندہ وہ وقف ایکٹ لانے والے ہیں اسکے بارے میں ایک بریف دیا تھا کہ ان لائنوں کے اوپر وقف ایکٹ آرہا ہے وہ وقف ایکٹ آرہا تھا ان لائنوں کے اوپر جو وقف انکوائری کمیٹی نے رکمینڈ کیا ہے جس سے متعلق ابھی چرچہ ہوئی تھی سن 1970ء کے اندر وقف انکوائری کمیٹی بنی تھی لیکن سن 1979ء کے اندر اس نے رپورٹ دی اسکے اندر بھی لیکنار ہے - سن 1979ء کے بعد سن 81 کے اندر آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں - اسلئے دوسری مسلم اوقاف کانفرنس کا حوالہ دیا ہمارے دوست شہاب الدین نے جو کہ دلی کے اندر ہوئی تھی - اس وقت انکوائری کمیٹی کے جتنے ممبران تھے وہ سارے کے سارے اندر شامل تھے انکو انہوں نے نیا ریکمنڈیشن دیا - جو کہ گورنمنٹ کے سامنے سب ہے - میں کہونگا کہ وقف کونسل کے اندر ایک کمیٹی ہے اسکے سامنے بھی سب مت ہے - خد وقف کی کمیٹی نے ساری سچوایشن پر غور کیا تھا - ان سب سورتحال - ضروریات - ان سارے میمو ریلڈمس رکمنڈیشن جو اس بیچ میں ہوئے ہیں سامنے رکھکر اگر کوئی کمپری ہینسیو وقف ایکٹ نہیں لایا گیا تو

†[ ] Transliteration in Arabic script.

پروٹیکٹ کرینگے
ایکٹ کے اندر
نہیں لائینگے
نہیں کرسکتے۔
سے کہ صاحب
آپ کو بڑا دور
اندر اور لینڈ
اندر ہے کہ ایسی
سے بچایا جائے
قانون کا مقصد
آپ کو اکوائر
لینا ہے۔ آپ کو
ایکٹ کے اندر
جس سے ایسی
وزیشن نہ ہو۔
بڑی مشکل کی
یک دوسری بات
آج بھی وقف
دیئے گئے جس
کو سوٹل
قبضے حاصل
کے سارے قانون
نہیں ہے۔ میں
ذمہ دار
دار اس بات کے
دلی کے اندر
کا طریقہ
قبرستان ہے۔
والے ہوم
جناب والا
قبرستان پر
جریدیاں پڑتا

پھر سے انفریکٹیو ہو جائیگا - پھر سے نامنظور ہو جائیگا۔ اور قابل قبول نہیں ہوگا اسلئے پچھلے دنوں جب وہ نوٹ آف ڈسینٹ دیا گیا تھا۔ مسلم ممبران پارلیمنٹ نے اس وقت اپنا نوٹ آف ڈسینٹ لیا تھا - ایوں یہ ہے کہ ہمارے عبد الرحیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی پچھلے دنوں مسلم ممبران پارلیمنٹ کے ساتھ میٹنگ کی تھی لیکن وہاں پر کچھ اختلافی پائنٹ آف ڈفیرنس وہاں پر رکھے تھے کہ اگر ان لائنوں کے اوپر وقف ایکٹ آیا تو وہ مسلم کمیونٹی کے لئے قابل قبول نہیں ہوگا مسلم اوقاف کے لئے وہ افیکٹیو اور مفید نہیں ہوگا - اس لئے میں کہوں گا کہ اگر کوئی وقف ایکٹ آتا ہے تو وہ ایسا آئے کہ جو واقعی مسلم کمیونٹی کے لئے آن دی ہول کونفیڈینس پیدا کرے اور وہ سمجھ سکیں کہ مسلم اوقاف مفید ہونگے۔ افیکٹیونیس قائم رہے گی اور اس سے مسلم کمیونٹی کا ڈولپمنٹ ہو سکے ایک بات اپنی جگہ پر ہے۔ یہ بات اس ہاؤس کے اندر آئی تھی مختلف قسم کے معاملے میں پچھلی۔ کے اندر لینڈ اکیوزیشن ایکٹ کے اندر ہائی کورٹ بھی چلا گیا وقف بورڈ لیکن کیا ہوا - ان کو ریلیف نہیں ملا اور جو ایک مسجد اکوائر کرلی گئی تھی۔ آپ غور کیجئے جو مسجد اکوائر کرلی گئی تھی وہ واپس نہیں

[شری سید هاشمی]

شروع هوتا هے- نه ڈی - ڈی - اے- والے بولتے هیں نه کوئی اور بولتا هے- یہاں تک که انکروچمینٹ کے ذریعہ سے جب قبرستان صاف هوجاتے هیں برابر هوجاتے هیں تو اس کے بعد ڈی - ڈی - اے- هتهوڑا چلاتا هے اور ساری زمین اپنے قبضه میں سمیٹ لیتا هے- شاہ ولی الله هندوستان کی آزادی سے پہلے شخص چندک تھے جنہوں نے هندوستان میں آزادی کی بنیاد بنائی تھی یہاں سے انگریزوں کو جانا چاهئے- آج یہاں ان کا قبرستان پورا پورا اجاڑ دیا گیا- ختم کردیا گیا - اور وهاں پر آج ڈی - ڈی - اے- کا قبضه هے- ایسے هی ایک پوری تھکلمت هے اس کے لئے- تو میں کہونگا که یه طریقه ختم هونا چاهئے- آج جتنی جگہوں پر یه هے که محض تھانه کی کاسپریسا سے جو ناجائز اوکوپینٹ هیں وه قبضه کرتے هیں- ابھی مولانا آزاد هوسٹل کے پیچھے مانا سلدری روڈ کے اندر کروڑوں روپئے کی وقف بورڈ کی زمین معاف کرینگے- همارا گوردوارا پربندهک کمیٹی کا جو اسکول تها انہوں نے قبضه میں کرلی هے- ایسے کتنی هی لاکھوں کروڑوں روپئے کی زمینیں هیں- تو اگر آپ ایسی کوئی شکل نہیں بنائینگے تو آئندہ ایکٹ لانے والے هیں- جس سے که آپ ان ناجائز قبضوں سے لوگوں کو نکال سکیں- تب تک اس کا کوئی فائدہ نہیں هوگا -

اس طریقه سے وقف ڈولیپمینٹ کارپوریشن کی بات هے کرناٹک کے اندر کی ایک مثال هے اس سے کافی سیکھا جا سکتا هے..... ''مداخلت'' .... کلپناتھ رائے جی کو اس پر بہت زیادہ ہی هونا چاهئے اگر میں بول رها هوں تو انکے صوبه کی بات بھی آجائے گی- لیکن وه فکرمند هیں که میں کیوں بول رها هوں -

श्री कल्पनाथ राय : नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है।

श्री सैयद अहमद हाशमी : मैं समझ रहा हूं।

شری سید احمد هاشمی : میں سمجھ رها هوں -

श्री हुकमदेव नारायण यादव : समय पर पास कराना है।

श्री सैयद अहमद हाशमी : मैं अर्ज कर रहा हूं कि उस नये एक्ट के अंदर मैं उनको ख्वाहिशात का एहतराम करता हूं कि उस नये एक्ट के लाने के अंदर वे जल्दी करना चाहते हैं। अब ज्यादा वक्त नहीं गुजारना चाहिए और जल्दी से वक्फ एक्ट लाना चाहिए लेकिन इस तरीके से कि कम से कम उस वक्फ एक्ट के आने के बाद मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर यह कान्फीडेंस रिस्टोर हो कि वाकई उनका उससे डेवलपमेंट हो सकता है। मैंने अर्ज किया कि यह सिर्फ मुसलमानों के औकाफ का, मुसलमानों का मसला नहीं है बल्कि एक नेशनल मसला

हैं और इसलिए मैं जानता हूं कि आज हिन्दुस्तान के अंदर लाखों और करोड़ों की जो जायदादें हैं अगर वे वाहगुजर हो जायें, उनका सही मायने में डेवलपमेंट हो जाये तो बहुत बड़ा वीकर सेक्शन, एक बहुत बड़ी कम्यनिटी अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं और दूसरों की इम्दाद से बेनियाज हो सकती है। इसलिए इस ब्रोड इंटरस्ट के अंदर मैं कहूंगा कि इस बिल को हिमायत करते हुए कि आप यह नया आइना जल्दी से जल्दी लायें जो कि वाकई एक्सेप्टिव हो, मुफीद हो, शुक्रिया

†[شری سید احمد هاشمی — میں عرض کر رہا ہوں کہ اس نئے ایکٹ کے اندر میں اسکی خواهشات کا احترام کرتا ہوں - کہ اس نئے ایکٹ کے لانے کے اندر وہ جلدی کرنا چاہتے ہیں - اب زیادہ وقت نہیں گذارنا چاہئیے اور جلدی سے وقف ایکٹ لانا چاہئیے لیکن اسطریقہ سے کہ کم سے کم اس وقف ایکٹ کے آنے کے بعد مسلم کمیونٹی کے اندر یہ کانفیڈنس رسٹور ہو کہ واقعی انکا اس سے ڈولپمینٹ ہو سکتا ہے - میں نے عرض کیا کہ صرف مسلمانوں کے اوقاف کا - مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے بلک ایک نیشنل مسئلہ ہے اور اس لئے میں جانتا ہوں کہ آج هندوستان کے اندر لاکھوں اور کروڑں کی جو جائدادیں ہیں اگر با گذار ہو جائیں انکا صحیح معانی میں ڈولپمینٹ ہو جائے تو بہت بڑا ویکر سیکشن ایک بہت بڑی کمیونٹی اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکتی ... کی امداد سے بے نیاز ... ہے اسلئے اس بورڈ ... میں کہوں گا اس بل ... ہوئے کہ آپ وہ نیا ... سے جلدی لائیں جو کہ ... ہو مفید ہو - شکریہ -]

†[ ] Transliteration in Arabic script.

उपसभाध्यक्ष (... हेपतल्ला) : मट्टू साहब ... देने वाले हैं उसके ...

MESSAGES FROM THE LOK SABHA

(I) The Constitution ... Amendment) Bi...

(II) The Eyes (Auth... Therapeutic Purpos...

SECRETARY-GENE... have to report to the H... ing messages receive... Sabha, signed by the ... Lok Sabha:

(I)

"In accordance ... sions of Rule 96 ... Procedure and Cond... in Lok Sabha, I ... enclose herewith ... (Forty-sixth Amen... which has been ... Sabha at its sitting ... July, 1982, in acc... provisions of article ... stitution of India."

(II)

"In accordance ... of Rule 96 of the ... dure and Conduc... Lok Sabha, I am ... herewith the Eye... Use for Therape... 1982, as passed by ... sitting held on th...